बिहार सरकार

प्रतिवेदन

1982-83

412
370.6
BIH-P

शिक्षा विभाग

- 5412
370.6
BiH-P

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	प्रारंभिक शिक्षा	1—7
2.	माध्यमिक शिक्षा	8—15
3.	उच्च शिक्षा	16—18
4.	शिक्षक शिक्षा	19—23
5.	छात्रवृत्ति	24—33
6.	वयस्क शिक्षा	34—35
7.	छात्र एवं युवा कल्याण	36—42
8.	एन० सी० सी०	43—47
9.	पुरातत्व एवं संग्रहालय	48—54
10.	शिक्षा विभाग का प्रशासनिक तंत्र	55—60
11.	प्रकीर्ण	61—68
	(क) पुस्तकालय सेवा	61—62
	(ख) छात्रों को रियायती मूल्य पर पाठ्य-पुस्तक एवं अभ्यास-पुस्तिकाओं की आपूर्त्ति।	63
	(ग) बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम	64—65
	(घ) बिहार माध्यमिक परीक्षा समिति	65—68

NIEPA DC

D01040

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-1040
Date 16/3/84

भूमिका

क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार को भारतवर्ष में 9वां स्थान प्राप्त है परन्तु जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1981 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 6,98,00,000 है जो भारतवर्ष की जनसंख्या का 10.21 प्रतिशत है। स्वाभाविक है कि इतने बड़े राज्य में शिक्षा संबंधी समस्याएं उतनी ही बड़ी होंगी।

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में देश के अन्य प्रगतिशील राज्यों की तुलना में पिछड़ा रहने के कारण विशेष प्रयास की आवश्यकता और भी अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 1982-83 में पूर्व के किए गए प्रयासों को सुदृढ़ करने एवं इन्हें आगे बढ़ाने के कार्यक्रम और भी अधिक तत्परता से चलाये गये।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षण संस्थाओं के अलावे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की भी स्थापना पर बल दिया गया है। आवासीय मध्य विद्यालयों, आश्रम विद्यालयों को विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने की कार्रवाई हुई है यद्यपि अर्थाभाव के कारण इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। निर्धन छात्रों के बीच निःशुल्क पुस्तकों के वितरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण अनुदानित पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति व्यवस्था एवं निःशुल्क पोशाक की आपूर्त्ति की योजना लागू की गयी है।

विद्यालयों के भवन बनाने एवं उनकी मरम्मती आदि कराने, मनोरंजन गृह तथा शौचालयों के निर्माण पर भी विशेष बल दिया गया है और इसके लिये लगभग दो करोड़ की राशि 1982-83 वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी है।

बिहार माध्यमिक विद्यालय प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम, 1981 के फलस्वरूप 31 मार्च 1983 तक राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3,228 हो गयी थी। अन्य प्रकार के माध्यमिक विद्यालय 258 थे फिर भी राज्य के बहुत से ऐसे प्रखंड हैं जिनमें माध्यमिक विद्यालयों की संख्या चार से भी कम है। राज्य सरकार ने ऐसे प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम चार माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध किये जाने का निर्णय लिया है जिनमें से एक माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं का विद्यालय होगा। विद्यालयों की स्थापना एवं पुस्तकालय को सुदृढ़ किए जाने के भी कार्यक्रम लागू किए गए तथा शिक्षकों में अपने कार्य के प्रतिनिष्ठा को जगाने के लिए चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के वेतनमान तो लागू किए गए ही, 20 प्रतिशत प्रवर कोटि के पदों की भी व्यवस्था की गयी।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल, तिलैया की सफलताओं को देखते हुए हजारीबाग में आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस विद्यालय में 1983-84 वर्ष से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन किया जायेगा। नेतरहाट में भी अब 60 छात्रों के स्थान पर 100 छात्रों का प्रवेश 1982-83 सत्र से लिया जा रहा है। सैनिक स्कूल, तिलैया में चार-मंजिले छात्रावास का निर्माण-कार्य किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शोध उपाधिप्राप्त व्याख्याताओं को 13 वर्षों की सेवा पर तथा अन्य को 18 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक प्रोन्नति दिये जाने के निर्णय विगत वर्ष ही लिए जा चुके थे। 1982-83 में उन्हें ऐसी प्रोन्नति पर सरकारी कर्मचारियों की तरह मूल वेतन का 12 प्रतिशत, अधिकतम 150 रु०, जोड़कर वेतन निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकेतर कर्मचारियों को चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण की सुविधा दी गयी है। अगले वित्तीय वर्ष में चार विश्वविद्यालयों की स्थापना भी प्रस्तावित है। स्नातकोत्तर केन्द्रों की भी संख्या बढ़ाने की योजना है। शिक्षकों एवं निरीक्षकों के प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण पर विशेष बल 1982-83 वित्तीय वर्ष में दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में प्रशिक्षणचर्यायें एवं संगोष्ठियां आयोजित की गईं। उनके विभिन्न विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं।

मेधावी किन्तु अपेक्षाकृत निर्धन छात्रों को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की राज्य प्रतिभा छात्रवृत्तियां एवं मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्तियां लागू की गयी हैं। 1982-83 वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्तियों के लिए कुल 4,09,79,681 रु० स्वीकृत किये गये हैं।

शिक्षा के कार्यक्रम को सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा गया है, वयस्कों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास किये गये हैं और लगभग 8,22,000 शिशिक्षुओं को इन केन्द्रों में लाया गया।

शारीरिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर शारीरिक कुशलता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। एन० सी० सी०, भारत स्काउट एवं गाइड योजनाओं को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। कला तथा संस्कृति एवं पुरातत्व संबंधी संस्थाओं को विकसित एवं सुरक्षित करने के हर संभव प्रयास किये गये।

बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ बहूद्देशीय शिक्षा के कार्यक्रम अपनाये जाने के कारण वर्त्तमान प्रशासनिक तंत्र को और सुदृढ़ किया जायगा।

प्रारंभिक शिक्षा

1982-83 वर्ष में बिहार राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 50,871 एवं मध्य विद्यालयों की संख्या 10,935 थी। राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के वर्ग 1 से 5 में पढ़नेवाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 47.81 लाख एवं 22.19 लाख थी। वर्ग 6—8 में पढ़नेवाले छात्र और छात्राओं की संख्या 11.78 लाख एवं 3.42 लाख थी। प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या क्रमशः 1,59,153 एवं 29,702 थी। प्रारंभिक विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 1982-83 में गैर-जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रों में शिक्षण सामग्री एवं उपस्करों की आपूर्त्ति हेतु क्रमशः 15 लाख एवं 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है :—

(1) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण।
(2) नये अनौपचारिक शिक्षा।
(3) नये वर्ग कमरों का निर्माण तथा विद्यालय भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।
(4) समाजोपयोगी उत्पादन कार्य।

इनके अतिरिक्त पहले से चली आ रही योजनाएं भी आलोच्य वर्ष में चालू रहीं, जो निम्नांकित हैं :—

(1) आश्रम विद्यालयों की स्थापना।
(2) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति।
(3) छात्राओं के लिये निःशुल्क पोशाक की आपूर्त्ति।
(4) पोषाहार योजना।
(5) बुक-बैंक की स्थापना।
(6) विज्ञान शिक्षा का विकास।
(7) रेडियो सेट की आपूर्त्ति।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण राज्य के लिये एक प्रमुख समस्या है।

योजना आयोग, भारत सरकार के वर्किंग ग्रुप ने वर्ष 1982-83 के अन्त में यानी 31 मार्च 1983 तक के लिये निम्नांकित नामांकन लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके समक्ष वास्तविक लक्ष्य की पूर्त्ति के आंकड़े निम्नवत् हैं :—

(लाख में)

प्राथमिक स्तर	1 से 5 वर्गों में	वय समूह 6—11 वर्ष
	लक्ष्य	उपलब्धि
लड़के ..	47.77	47.81
लड़कियां ..	22.17	22.19
	69.94	70.00

मध्य स्तर	6-8 वर्गों में	वय समूह 11—14 वर्ष
लड़के ..	11.76	11.78
लड़कियां ..	3.42	3.42
	15.18	15.20

1 से 8 वर्गों तक		
लड़के ..	59.53	59.59
लड़कियां ..	25.59	25.61
	85.12	85.20

यह संख्या 31 मार्च 1983 की है। उपर्युक्त आंकड़े के अनुसार 6 से 14 वर्ष के 61.20 प्रतिशत बच्चों की विद्यालयों में नामांकित कराना था। इस लक्ष्य से 8,000 अधिक बच्चों का नामांकन औपचारिक शिक्षा के प्रारंभिक विद्यालयों में हुआ।

अनौपचारिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में अकेले अनौपचारिक शिक्षा से नामांकन के लक्ष्य की पूर्त्ति में कठिनाई हो रही है। साथ-साथ औपचारिक विद्यालय उन बच्चे / बच्चियों की शिक्षा का समाधान नहीं करवा रहे हैं, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही विद्यालय छोड़ दिया है। अतः अनौपचारिक शिक्षा को छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का एक प्रमुख अंग बनाया गया है। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 9 से 14 वर्ष के उन बच्चे/बच्चियों को शिक्षित करने की व्यवस्था की गई है जो या तो विद्यालयों में प्रवेश ही नहीं पाये हों अथवा प्रवेश पाने के बाद विद्यालय छोड़ने के लिये बाध्य हुए हैं। इन वर्गों के बच्चे-बच्चियों के सुविधानुसार शिक्षण स्थान के चयन एवं समय-सारिणी इत्यादि की लचकदार व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस कार्य हेतु 85.30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस राशि से 6,100 केन्द्र खोले गये हैं। इसके पूर्व के वर्ष यानी 1981-82 तक 4,300 केन्द्र खोले गये थे। प्रत्येक केन्द्र में 35 छात्र/छात्राओं के पढ़ाने का प्रावधान है। 10,400 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 31 मार्च, 1983 तक 3.20 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित होकर अध्ययन कर रही हैं। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 85.20 लाख बच्चे औपचारिक प्रारंभिक विद्यालयों में और 3.20 लाख बच्चे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित हैं। इस प्रकार इस आयु वर्ग के 88.40 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित होकर अध्ययन कर रही हैं जो इस वर्ग के बच्चे-बच्चियों की कुल संख्या का 63.52 प्रतिशत होता है। इस तरह हम नामांकन के निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा आगे हैं।

शिक्षक इकाई की स्वीकृति

सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक आबादी के बच्चों के लिये प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इस राज्य में लगभग 4,000 ऐसी आबादियां हैं जिनके $1\frac{1}{2}$ कि० मी० के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों में अर्थात् 1982-83 से 1984-85 के बीच इन 4,000 आबादियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। 1982-83

वित्तीय वर्ष में 1,000 ऐसी आबादियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने के लिये 1,000 शिक्षक पद मार्च, 1983 में स्वीकृत किये गये। इसके अलावे पुराने 1,500 एक-शिक्षकीय प्राथमिक विद्यालयों को दो-शिक्षकीय बनाने के लिये 1,500 शिक्षक इकाई मार्च, 1983 में स्वीकृत की गई। इन 2,500 शिक्षक पदों के, लिये मार्च, 1983 में राशि स्वीकृत नहीं की गई। 1983-84 वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में इन पदों पर नई नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है तथा 1983-84 वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिये राशि स्वीकृत की जायेगी।

1983-84 और 1984-85 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में 1,500 की दर से प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना उपर्युक्त आबादियों में की जायेगी।

आवासीय मध्य विद्यालय

राज्य सरकार द्वारा 1981-82 में पूर्व से राजकीयकृत 90 मध्य विद्यालयों को आवासीय मध्य विद्यालय के रूप में परिणत किया गया था लेकिन निधि के अभाव में इन विद्यालयों में छात्रावास का निर्माण नहीं किया जा सका। 1982-83 में निधि के अभाव में यह योजना स्थगित कर दी गई।

आश्रम विद्यालयों की स्थापना

आलोच्च वर्ष में 22.25 लाख रुपये स्वीकृत कर 18 आश्रम विद्यालयों की स्थापना की अवधि का विस्तार किया गया, जिसमें हरिजन एवं आदिवासी छात्र-छात्राओं को छात्रावास में रहने की सुविधा उपलब्ध करायी गई। इन 18 आश्रम विद्यालयों में से 16 (सोलह) विद्यालय जनजाति क्षेत्र में तथा 2(दो) विद्यालय गैर-जनजाति क्षेत्र में अवस्थित हैं। इन आश्रम विद्यालयों में 1,800 छात्रों के लिये आवास एवं भोजनादि की व्यवस्था उपर्युक्त राशि से की गई।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति

इस मद में कुल 378.01 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई। शैक्षिक सत्र 1983 में वर्ग 1 से 5 तक के सभी छात्र।छात्राओं को अनुदानित पाठ्य-पुस्तकें दी गईं। इस योजना से कुल 70 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगीं।

छात्राओं के लिये मुफ्त पोशाक की आपूर्त्ति

इस योजना के लिये कुल 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी जिससे कमजोर वर्ग की कुल 60 हजार छात्राएं लाभान्वित हुईं।

पोषाहार योजना

इस योजना के लिये वर्ष 1982-83 में वित्तीय वर्ष में कुल 85.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। यह व्यवस्था 197 प्रखंडों में चालू है। इसमें 3.40 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं।

गैर-सरकारी सहायताप्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों (अल्प-संख्यक सहित) के शिक्षकों की सरकारी कर्मचारी की तरह पेंशनादि की सुविधा--

1982-83 वित्तीय वर्ष तक गैर-सरकारी सहायताप्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों (अल्प-संख्यक सहित) में सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षकों की विविध लाभ योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत किया जाता था। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की मांग पर विचार कर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि दिनांक 1 अप्रील 1984 से उपर्युक्त कोटि के शिक्षकों को भी राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तरह सरकारी दर से पेंशन और उपदान की सुविधा प्रदान की जाय। इसके लिये संबंधित शिक्षकों से अधीच्छा की मांग की गई है।

गैर-सरकारी सहायताप्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय (अल्प-संख्यक सहित) में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को चतुर्थ पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति--

गैर-सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों (अल्प-संख्यक सहित) में सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों को तृतीय पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का भुगतान होता था। मार्च, 1983 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन सहायताप्राप्त विद्यालयों में भी स्वीकृत मद पर कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों में चतुर्थ पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1 अप्रील 1981 से लागू कर वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त इस कोटि के शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता और शहरी क्षेत्रों में आवास भत्ता की भी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इन मदों में प्रतिवर्ष औसतन 4.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के भवन आदि का निर्माण—

* 1982-83 में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए भवन आदि के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्य निम्नवत् है :—

परियोजना का नाम	गैर-जन-जाति		जन-जाति क्षेत्र	
	स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5
	रु०		रु०	
1. शहरी क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों तथा मध्य विद्यालयों में 1980-81 में चल रहे नए वर्ग कमरों के निर्माण को पूरा करना।	81,65,635	वर्ग कमरे 811	42,47,000	वर्ग कमरे 457
2. सह-शैक्षिक राजकीय मध्य विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष योजनान्तर्गत मनोरंजन गृह-सह-शौचालय एवं शौचालय निर्माण।	11,00,000	(*i*) मनोरंजन गृह-सह-शौचालय 58 (*ii*) शौचालय 115	10,00,000	मनोरंजन गृह-सह-शौचालय 20 शौचालय 50 शिक्षिका आवास गृह 20
3. भारत सरकार से प्राप्त साहाय राशि में से 1982 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण।	49,42,240	14 जिलों के 94 प्रखंडों में	..	..

उपर्युक्त राशि में से गैर-जनजाति क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों के निर्माणाधीन वर्ग कमरे का निर्माण पूरा करने के लिए स्वीकृत 81,65,635 रु० की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी है। शेष सभी राशि जिला के संबंधित पदाधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है। ये सभी राशि वर्ष के अंतिम चरण में स्वीकृत किए जाने के कारण उसका उपयोग 1982-83 में संभव नहीं हो सका है। 1983-84 में इन सभी राशियों का उपयोग किया जायेगा।

शैक्षिक प्राद्योगिकी कोषांग

राज्य शैक्षिक प्राद्योगिकी कोषांग 1974-75 से केन्द्रचालित योजना के रूप में कार्य कर रहा है। केन्द्रीय सरकार ने 1974-75 से 1978-79 तक इस कोषांग का सम्पूर्ण व्ययभार वहन किया था। 1979-80 से बिहार सरकार इस उपयोगी योजना का सारा व्ययभार वहन कर रही है। इस योजना की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, वयस्क शिक्षा का प्रसार तथा प्रारम्भिक शिक्षा का गुणात्मक विकास है। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिये दूरदर्शन, रेडियो तथा अन्य सामानों का उपयोग किया जाता है।

शैक्षिक प्राद्योगिकी कोषांग की सहायता से आकाशवाणी द्वारा राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिये शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण भी सीमित क्षेत्रों में किया जा रहा है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिये आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य का चयन किया गया है तथा राज्य के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक शैक्षिक उत्पादन केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह उत्पादन केन्द्र रांची में अवस्थित होगा और तत्काल रांची, सिंहभूम एवं पलामू इन तीन जिलों में प्रसारण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। 1984 तक राज्य के दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा कर दी जायेगी, ऐसी आशा की जाती है।

1982-83 में प्रारम्भिक विद्यालयों को रेडियो सेट की आपूर्त्ति के लिये राज्य सरकार ने कुल एक लाख रुपये स्वीकृत किया है। इसमें से 75,000.00 रुपये गैर-जनजाति क्षेत्र के 308 विद्यालयों के लिये हैं और 25,000.00 रुपये से जनजाति क्षेत्र के 102 विद्यालयों को रेडियो सेट की आपूर्त्ति करने का आदेश दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा

1-राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय

माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन, उनके बेहतर संघटन तथा उनके सम्यक विकास एवं विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य के अराजकीय उच्च विद्यालयों (अल्पसंख्यक एवं स्वत्वाधिकारी विद्यालयों को छोड़कर) का राजकीयकरण करने का निश्चय किया। तदनुसार 2 अक्तूबर 1980 को 2,859 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीयकरण किया गया। 1981-82 में 132 तथा 1982-83 में 91 नये माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया। 1981-82 में प्रत्येक प्रखंड में एक कन्या विद्यालय सहित चार माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना तहत 150 विद्यालय खोले गये हैं। इस प्रकार 31 मार्च 1983 को कुल राजकीयकृत विद्यालयों की संख्या 3,232 हो गयी है।

2-अल्पसंख्यक विद्यालय

राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्त्ति करने तथा अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पूरी सुविधा प्रदान की है। 1981-82 में भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों की संख्या 193 थी। 1982-83 में सात अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्वीकृति मिलने पर अब अल्पसंख्यक विद्यालयों की कुल संख्या 200 हो गयी है।

3-स्वत्वधारक विद्यालय

ऐसे विद्यालय जिनका सारा वित्तीय भार आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक विद्यालय के संस्थापक द्वारा वहन किया जाता है स्वत्वधारक विद्यालय कहलाते हैं। ऐसे विद्यालयों की संख्या 1981-82 में 17 थी। 1982-83 में तीन स्वत्वधारक विद्यालय की मान्यता प्रदान किये जाने एवं धारक विद्यालय को राजकीयकरण के फलस्वरूप अब ऐसे विद्यालयों की संख्या 19 हो गयी है।

4-केन्द्रचालित विद्यालय

भारत सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अलावे अन्य किसी विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्वीकृति विद्यालय केन्द्रचालित विद्यालय कहलाते हैं। ऐसे विद्यालयों की संख्या 1981-82 में 33 थी। 1982-83

में हिन्दुस्तान स्टील, बोकारो द्वारा स्थापित पांच विद्यालयों की प्रस्वीकृति के फलस्वरूप ऐसे विद्यालयों की संख्या अब 38 हो गयी है।

5-नये विद्यालयों की स्थापना

1982-83 में 95 नये माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की अनुमति प्रदान की गयी है।

6-प्रत्येक प्रखंड में एक कन्या उच्च विद्यालय सहित चार विद्यालय की स्थापना

1981-82 में राज्य थे करीब 210 ऐसे प्रखंड थे जहां माध्यमिक विद्यालयों की संख्या चार से कम थी, राज्य के 587 प्रखंडों में से 435 ऐसे प्रखंड थे जहां कोई मान्यताप्राप्त कन्या माध्यमिक विद्यालय नहीं थे। अभी राज्य के करीब 14 प्रखंड ऐसे हैं जहां केवल एक माध्यमिक विद्यालय हैं तथा 104 प्रखंडों में केवल दो माध्यमिक विद्यालय हैं। अभी राज्य के करीब 370 प्रखंडों में कन्या उच्च विद्यालय का अभाव है। इन प्रखंडों में माध्यमिक शिक्षा की समुचित सुविधा मुहैया करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1983-84 में 120 माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7-आवासीय विद्यालय की स्थापना

राज्य के प्रत्येक जिला में एक हरिजन/आदिवासी आवासीय माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 19 जिलों में आवासीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार द्वारा 1981-82 में छः जिले के एक-एक अच्छे माध्यमिक विद्यालय को हरिजन/आदिवासी आवासीय विद्यालय में परिणत किया गया है। 1982-83 में निधि के अभाव में कोई नया आवासीय विद्यालय नहीं खुल सका। 1983-84 में पांच आवासीय माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

8-शौचालय का निर्माण

राज्य के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा चल रही है। इन विद्यालयों में छात्राओं के लिए कॉमन रूम-सह-शौचालय का अभाव बालिका शिक्षा के प्रसार में एक अवरोधक सिद्ध हो रहा है। विगत 3-4 वर्षों के दरम्यान राज्य सरकार द्वारा 150 से अधिक विद्यालयों में कॉमन रूम-सह-शौचालय के निर्माण के लिये राशि स्वीकृत की गयी है जिनमें 1982-83 में स्वीकृत 27 विद्यालय सम्मिलित है। माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण

की आवश्यकता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने चरणबद्ध रूप से सभी माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण का निश्चय किया है। प्रकटतः सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में शौचालय निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी।

9-बुक बैंक

राज्य के 3,232 राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में से 1981-82 तक 2,500 विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की जा चुकी थी। अवशेष करीब 500 विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना के लिए 1982-83 में 15 लाख रुपया की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 1983-84 में अवशेष सभी माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

10-अतिरिक्त शिक्षक इकाई की स्वीकृति

माध्यमिक शिक्षा की नयी संरचना एवं नया पाठ्यक्रम लागू होने तथा विद्यालयों में अतिरिक्त वर्गों के खुलने के कारण 1982-83 में करीब 1,700 अतिरिक्त शिक्षकों की मांग विभिन्न विद्यालयों से आयी थी जिसमें 500 शिक्षक इकाइयां स्वीकृत की गयी।

11-शिक्षकों के कल्याणकारी कार्य

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को 1 अप्रील 1978 से स्वीकृत नये वेतनमान में वेटेज देकर वेतन निर्धारण तथा 20 प्रतिशत प्रवर कोटि के पदों की सुविधा राजकीय संकल्प संख्या 625, दिनांक 1 सितम्बर 1982 द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालय को भी प्रदान की गयी। उसी प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रील 1981 से लागू चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का लाभ, राजकीय संकल्प संख्या 626, दिनांक 1 सितम्बर 1982 द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी दिया गया।

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में राजकीय संकल्प संख्या 112, दिनांक 7 मार्च 1983 द्वारा प्रवर कोटि के (वेतनमान 940—1,660 रुपया) में, 6,589 स्थायी एवं 200 अस्थायी पद सृजित किये गये।

दिनांक 2 अक्तूबर 1980 के पूर्व प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों में से 175 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को तदर्थ रूप से प्रोन्नति दी गयी। इनमें 175 प्रधानाध्यापकों में से 140 प्रधानाध्यापकों की स्थायी प्रोन्नति हेतु विद्यालय सेवा बोर्ड को सभी संगत अभिलेख भेजे जा चुके हैं।

1982-83 में छः संस्थापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों को विद्यालय सेवा बोर्ड की सहमति से प्रधानाध्यापक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया।

12. विद्यालय सेवा बोर्ड

विद्यालय सेवा बोर्ड के पुनर्गठन के फलस्वरूप अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन के जितने लम्बित मामले थे सभी का निष्पादन किया गया।

2 अक्तूबर 1980 को 58 वर्ष की आयु पूरी करने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में शिक्षक सेवा निवृत्त हुए थे। ऐसी कुल प्रतिवेदित रिक्तियां 3,891 थी। इनमें 2,307 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियां की जा चुकी है। जिसका विवरण अधोलिखित है :—

(1) विज्ञान गणित	.. ..	171
(2) जीव विज्ञान	.. ..	1,009
(3) गृह विज्ञान	.. ..	49
(4) उर्दू ..	.. ..	322
(5) मैथिली	.. ..	31
(6) फारसी	.. ..	46
(7) बंगला	.. ..	21
(8) उड़िया	.. ..	6
(9) संस्कृत	.. ..	652
		2,307

13. नेतरहाट आवासीय विद्यालय

नेतरहाट आवासीय विद्यालय में इन्टरमिडिएट स्तर की पढ़ाई जुलाई, 1974 ई० में प्रारम्भ की गयी थी। इसकी वजह से छात्र संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1981 में 18.85 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर 80 शय्याओं के छात्रावास भवन के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी थी। उक्त योजना को पूरा करने के लिए 1982-83 वर्ष तक 18.11 लाख रुपये का आवंटन दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में यह योजना पूरी हो जायगी।

विद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के आवासीय समस्या के समाधान के क्रम में मार्च, 1980 में 3.77 लाख रु० की लागत पर 12 फ्लैट के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी थी। कतिपय कारणों से इस योजना का कार्यान्वयन 1982-83 वर्ष में ही प्रारम्भ किया जा सका है। इस योजना के चालू वर्ष में पूरा होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 13.30 लाख रुपये के प्राक्कलित व्यय पर आठ सह-शिक्षकों के लिए तथा 7.49 लाख रु० की प्राक्कलित व्यय पर आठ तृतीयवर्गीय कर्मचारियों के लिए भी आवास भवनों के निर्माण की योजना मार्च, 1981 में स्वीकृत की गयी है। इन भवनों का निर्माण कार्य 1982-83 वर्ष में प्रारम्भ किया गया है। इन भवनों को पूरा करने के लिए 1983-84 वर्ष में 10 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

विद्यालय के छात्रावासों में जलापूर्त्ति की समस्या के समाधान हेतु 1.01 लाख रुपये के प्राक्कलित व्यय पर सभी छात्रावासों में जल संचयन टंकी बनाने की योजना 1981-82 वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी है। इस योजना के चालू वित्तीय वर्ष में पूरा होने की आशा है।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रति वर्ष 60 छात्रों के नामांकन की व्यवस्था थी। इस विद्यालय की उत्कृष्टता से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके इस उद्देश्य से राज्यस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 60 छात्रों की जगह 100 छात्रों के नामांकन का निर्णय लिया गया है। यह योजना 1982-83 सत्र से प्रारम्भ कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 40 अतिरिक्त छात्र बढ़ेंगे। इन अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था हेतु वर्त्तमान छः सेट छात्रावासों में परिवर्त्तन एवं विस्तार कर कुल 168 स्थान बढ़ाने हेतु 9.87 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इस योजना की पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 में 2,75,000 रु० का उपबन्ध किया गया है।

नेतरहाट विद्यालय में छात्र संख्या में वृद्धि के कारण प्रत्येक वर्ग में एक अतिरिक्त उप-वर्ग खोला जायगा। इसके लिए 1982-83 वर्ष में तीन सह-शिक्षकों और सात तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद सृजित किये गये हैं। 1983-84 वर्ष में भी अतिरिक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पद सृजित करने का प्रस्ताव है।

2. आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग

राज्य में बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए नेतरहाट विद्यालय के पैटर्न पर एक आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना

की घोषणा 1982-83 वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गयी थी। उक्त घोषणा के आलोक में विघटित सुधार विद्यालय, हजारीबाग के प्रांगण में 1983-84 वर्ष से आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। प्रासंगोचित विद्यालय की स्थापना की पूर्व तैयारी के लिए 1982-83 वर्ष में सुधार विद्यालय के भवनों में परिवर्त्तन एवं परिवर्द्धन तथा विशेष मरम्मति के लिए 2.50 लाख रुपये और उपस्कर साज-सज्जा तथा कार्यालय व्यय के मद में अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मद में व्यय के लिए 4.00 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में शिक्षिकाओं तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अन्य मदों में खर्च वहन करने के लिए 11.00 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। 1983-84 वर्ष में इस विद्यालय में छठे एवं सातवें वर्गों में 50-50 छात्राओं का नामांकन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लिया जायगा।

3. सैनिक स्कूल, तिलैया

सैनिक स्कूल, तिलैया के स्थायी भवन के निर्माण का प्रस्ताव कुछ वर्षों से सरकार के विचाराधीन था। प्रस्तावित भवन के कैन्टीन-सह-भोजनालय भाग के निर्माण की स्वीकृति 1977-78 में दी गयी थी। इस योजना पर 1982-83 वर्ष तक 7.50 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। इस योजना पर कुल 21.79 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 14.29 लाख रु० अतिरिक्त व्यय होगा। जिसके लिए उपबन्ध किया गया है। पुनः इस विद्यालय में जलापूर्त्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु 3.88 लाख रु० की प्राक्कलित लागत पर एक परियोजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना को पूरा करने के लिए 1982-83 वर्ष में 3.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। योजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अनुमान है कि यह योजना 1983-84 वर्ष में पूरी हो जायगी।

सैनिक स्कूल, तिलैया के सम्पूर्ण भवन के निर्माण में काफी खर्च होने की सम्भावना को देखते हुए द्वितीय चरण में 800 छात्रों के लिए 102.40 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर चार मंजिले छात्रावास भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। इसमें से 1982-83 वर्ष तक 40 लाख रु० का आवंटन भी दिया जा चुका है। इस योजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस भवन के के निर्माण के मद में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 1983-84 में 20 लाख रुपये का उपबन्ध है। साथ ही विद्यालय के फुटकर विकास के लिए भी 3.40 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

4. संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा

अराजकीय संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान में व्याप्त असमानताओं को 1 अप्रील, 1980 से दूर कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों की प्रस्वीकृति की तिथि का कोई बन्धन नहीं रखते हुए सभी प्रस्वीकृति विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पूर्ण वेतनादि का भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय होगा। राज्य सरकार की इस उदार नीति का दुरुपयोग नही हो, इस उद्देश्य से सरकार ने अब निर्णय लिया है कि प्रस्वीकृति के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्त्ति करने वाले अराजकीय संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को प्रस्वीकृति दी जायगी किन्तु उसका खर्च स्वयं प्रबन्धकों द्वारा वहन करना होगा। फिर भी राज्य सरकार द्वारा जिन संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि का सम्पूर्ण खर्च वहन करने का भार लिया गया है, उनके लिए 1982-83 वर्ष में क्रमशः 2,02,28,040 एवं 4,49,50,073 रुपये अनुदान स्वीकृत किया गया है। 1983-84 वर्ष में इन संस्थाओं के लिए क्रमशः 4,08,75,000 एवं मदरसों के लिए 8,50,00,000 रुपये का उपबन्ध है।

अराजकीय संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों के विकास के लिए भी 1983-84 वर्ष की योजना में 5-5 लाख रुपये का उपबन्ध है।

भारत स्काउट और गाईड

भारत स्काउट और गाईड संस्था का मुख्य उद्देश्य बालकों और बालिकाओं का चरित्र निर्माण करना है। इस सन्दर्भ में उनमें राष्ट्रीयता, विश्व बन्धुत्व, परसेवा, स्वावलम्बन, आदि विशिष्ट गुणों की शिक्षा देना ही इस संस्था का मुख्य कार्य है। भारत स्काउट और गाईड संस्था भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था है। इस संस्था के विकास के लिये 1.50 लाख रुपये तथा सामान्य कार्य संचालन के लिये 2.00 लाख रुपये का अनुदान 1982-83 वर्ष में स्वीकृत किया गया। साथ ही भारत स्काउट और गाईड की राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के लिये भी 15.00 लाख रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया।

2. भारत स्काउट और गाईड की राष्ट्रीय जम्बूरी प्रत्येक चार वर्ष के अन्तराल पर देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाती है। इस संस्था की 9वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के विशाल प्रांगण में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर, 1982 तक किया गया था। इस जम्बूरी में 33 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों तथा 9 बाहरी देशों, यथा—बंगल, देश, जापान, मलएशिया, नेपाल, श्रीलंका, न्युजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड एवं डेनमार्क के लगभग 16

हजार स्काउटों और 9 हजार गाईडों ने भाग लिया। बोध गया में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी अबतक के सभी जम्बूरियों से बड़ी जम्बूरी थी। इसके आयोजन पर लगभग 25 लाख रुपया खर्च हुआ जिसमें राज्य सरकार ने 15 लाख रुपये और भारत सरकार ने 2 लाख रुपये अनुदान की स्वीकृति दी। शेष 8 लाख रुपये का प्रबन्ध पंजीयन शुल्क, शिविर शुल्क आदि से संस्था ने जमा किया। इस जम्बूरी की मुख्य विशेषतायें प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हो रहे 20-सूत्री कार्यक्रमों का प्रदर्शन, छात्रों एवं छात्राओं के शारीरिक विकास का प्रदर्शन, स्कूलों-ओ-रामा, एडभेन्चर गेम, दूसरे राज्यों के शिविरों में जा कर दोस्ती करनी और उनकी भाषायें सीखना, विभिन्न राज्यों के वेश-भूषाओं में झांकियों का प्रदर्शन, विभिन्न राज्यों के लोक गीतों तथा आदिवासी नृत्यों का प्रदर्शन तथा 10 दिनों तक टेन्ट में रह कर स्वावलम्बित शिविर जीवन बिताना था। इस जम्बूरी के आयोजन से बिहार राज्य में स्काउटों और गाईडों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रत्येक उच्च एवं मध्य विद्यालय में स्काउट और गाईड टुकड़ी कायम रखी जाय।

उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए 1982-83 वर्ष विशेष रूप से स्मरणीय रहेगा। इस वर्ष राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह 1 अप्रील 1981 से 1 जुलाई 1982 तक प्राप्त केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता 1 जुलाई 1982 से पूर्ण रूप से नगद देने का निर्णय लिया तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समान रूप से 10 रुपया चिकित्सा भत्ता के अलावे राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान प्राप्त चिकित्सकीय सुविधा देने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय शिक्षकों को वैयक्तिक प्रोन्नति दिये जाने पर मूल वेतन का 12 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपया जोड़कर वेतन निर्धारित किये जाने का भी निर्णय इसी वर्ष लिया गया। 1 अप्रील 1981 के एक वर्ष पूर्व से नियमित सेवा वाले शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण की सुविधा के अतिरिक्त 500 रु० का तदर्थ अनुदान राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह दिया गया है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उनके अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालयों के लिए राज्य के वित्तीय संकट के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में गैर-योजना मद से 24,40,00,000। रु० दिये गये तथा उनकी विकासात्मक योजनाओं के लिए कुल 1,18,80,000 रु० दिये गये।

पटना विश्वविद्यालय के केन्द्रीय चिकित्सालय में यक्ष्मा केन्द्र एवं बायो-केमिकल इकाई की स्थापना तथा वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान के प्रयोगशाला हेतु 6,74,248 रु० स्वीकृत किये गये तथा ललित कला संकाय की स्थापना के लिए एक लाख रुपये, मगध महिला कॉलेज में पुस्तकालय भवन के विस्तार हेतु एक लाख रुपये तथा पटना कॉलेज में नवनिर्मित सेमीनार एवं कन्फ्रेंस हाल को सुसज्जित करने के लिए 1,05,000 रुपये दिये गये। अन्य योजनाओं पर कुल मिलाकर पटना विश्वविद्यालय को 14,45,000 रु० दिये गये।

मगध विश्वविद्यालय को 1982-83 वित्तीय वर्ष में कॉलेजों के विकास हेतु 7,00,000 रुपये तथा विश्वविद्यालय के विकास, छात्र कल्याण आदि के लिए 7,45,000 रुपये कुल 14,45,000 रु० दिये गये। विश्वविद्यालय प्रांगण में परीक्षा प्रशाल का निर्माण जारी है। अखिल भारतीय जम्बूरी के अवसर पर जल-पूर्त्ति की व्यवस्था के लिए एक लाख रुपये इसी राशि से दिये गये थे। ललित कला संकाय की स्थापना हेतु भी 1.00 लाख रुपये दिये गये।

रांची विश्वविद्यालय को प्रांगण विकास हेतु 9,50,000 रुपये कॉलेज विकास हेतु 12,50,000 रुपये, ललित कला संकाय की स्थापना हेतु एक लाख रुपये,

स्नातकोत्तर केन्द्र, चाईबासा के लिए 4,25,000 रुपये एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक लाख रुपये दिये गये हैं। इस वर्ष राँची विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्र के लिए 28,85,000 रुपये कुल दिये गये हैं। इसी रुपये में से, 50 डबल सीटेड महिला छात्रावास निर्माण की योजना, जो यू०जी०सी० द्वारा स्वीकृत थी, के लिए 4,50,000 रुपये इस वर्ष दिये गये हैं। इस वर्ष मैचिंग शेयर स्वरूप कुल 4,50,000 रुपये जनजातीय क्षेत्र के लिए दिये गये थे। इसी वर्ष क्षेत्रीय भाषा विभाग भी राँची विश्वविद्यालय में खोला गया।

गैर-जनजातीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 3,40,000 रुपये स्वीकृत किए गए जो मुख्यतः कॉलेज विकास के लिए एवं छात्र कल्याण के लिए दिये गये हैं।

भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए 20,20,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 7,95,000 रुपये जनजातीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय के अधूरे प्रशासनिक भवन को पूरा कराने निमित इस वर्ष 5,26,300 रुपये दिये गये। पूर्व में इसके लिए 25,00,000 रुपये दिये गये थे और पुनरीक्षित प्राक्कलन 37,00,000 रु० का था। शेष राशि 6,74,700 1983-84 वित्तीय वर्ष में दी जायेगी। अन्य प्रमुख कार्य जिसके लिए राशि विश्वविद्यालय को दी गयी है वह प्रेस की चहारदिवारी के निर्माण हेतु 73,700 रुपये, जेनरेटर की खरीद हेतु 75,000 रु० और ललित कला संकाय की स्थापना हेतु एक लाख रुपये हैं। कॉलेज विकास हेतु कुल 8,75,000 रु० जनजातीय क्षेत्र सहित दिये गये। दुमका स्थित स्नातकोत्तर केन्द्र के लिए तीन लाख रुपये दिये गये।

मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की विभिन्न विकास योजनाओं निमित कुल 20,70,000 रुपये स्वीकृत किए गए जिनमें प्रमुख योजनाएं दरभंगा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मुआवजे के भुगतान हेतु 5,01,000 रु०, स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास हेतु 6,00,000 रुपये थीं। इसमें सहरसा स्थित स्नातकोत्तर केन्द्र की स्थापना एवं ललित कला संकाय की स्थापना के व्यय भी शामिल हैं।

बिहार विश्वविद्यालय को इस वर्ष 16,75,000 रुपये विकास कार्य हेतु दिये जिनमें ली गयी प्रमुख योजनाएं महिला छात्रावास के निर्माण हेतु 5,00,000 रु०, प्रयोगशाला भवन के विस्तार हेतु दो लाख रुपये, ललित कला संकाय की स्थापना हेतु एक लाख रुपये, एम०जे० के० कॉलेज, बेतिया में छात्रावास के निर्माण हेतु दो लाख रुपये थे।

1982-83 वित्तीय वर्ष में हजारीबाग स्थित स्नातकोत्तर केन्द्र में अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं गणित में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु व्यवस्था की गयी है। चाईबासा स्थित स्नातकोत्तर केन्द्र में भूगर्भ शास्त्र के शिक्षण की व्यवस्था पूर्व स्वीकृत पांच विषयों के अतिरिक्त की गयी। 1982-83 वित्तीय वर्ष में एक मगही अकादमी की स्थापना भी हुई।

राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 1983-84 में छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, सहरसा में भारतीय मंडन विश्वविद्यालय, हजारीबाग में संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय एवं पटना में मजहरुलहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय तत्काल प्रत्येक के लिए 50 लाख रुपयों की लागत पर स्थापना का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर, धनबाद, पूर्णिया बेगूसराय और मुंगेर में नये स्नातकोत्तर केन्द्रों की स्थापना का भी निर्णय है जहां तत्काल स्थानीय कॉलेज में दो-दो विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। पूर्व से चल रहे आरा और मोतिहारी के स्नातकोत्तर केन्द्रों में दो-दो अतिरिक्त विषय के शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही साथ राँची में तमिल, पटना में मलयालम, बिहार विश्वविद्यालय में तेलगू भाषा के शिक्षण की व्यवस्था भी होगी। 1983-84 वित्तीय वर्ष में राज्य में बंगला, संस्कृत, पंजाबी एवं विज्ञान अकादमियों की भी घोषणा है। इनमें से बंगला एवं पंजाबी अकादमी की स्थापना वर्तमान वित्तीय वर्ष में की जा चुकी है। प्रतिवेदन की तिथि को राज्य में पूर्व से स्थापित उर्दू अकादमी, मैथिली अकादमी, भोजपुरी अकादमी, जनजाति भाषा अकादमी, मगही अकादमी के अतिरिक्त बंगला अकादमी और पंजाबी अकादमी को मिलाकर अकादमियों की कुल संख्या सात हो गई है।

शिक्षक शिक्षा

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बी० एड०)

तीन राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, छपरा , गया एवं हजारीबाग में चालू किये गये। इनमें नामांकन हुआ। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रांची (महिला) में 1981-82 की तरह इस वर्ष भी 150 छात्राओं के नामांकन हुये। इस प्रकार राज्य में इस वर्ष तक दस राजकीय एवं तीन अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत रहे। इसके लिये राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, रांची (महिला) के लिये 2.45 लाख रुपये स्वीकृत किये गये एवं छपरा, गया एवं हजारीबाग के लिये 7,39,092 रुपये स्वीकृत हुये। प्रत्येक राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय में 100 पूर्व-सेवा तथा 50 सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में नामांकित हुए।

अराजकीय प्रस्वीकृत तीनों बी० एड० कालेजों में पूर्व की तरह एक-एक सौ छात्र/छात्रा प्रविष्ट हुए।

2-भवन

जनजाति क्षेत्र में अवस्थित राजकीय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रांची की चहारदिवारी के निर्माण हेतु 1.50 लाख रुपये स्वीकृत हुये तथा गैर-जनजाति क्षेत्र के लिये समस्तीपुर एवं तुर्की के लिये 4.50 लाख रुपये स्वीकृत हुये।

3-अनवरत शिक्षा केन्द्र

19 अनवरत शिक्षा केन्द्रों को नए पाठ्यक्रम के लिये 4.25,300 रुपये स्वीकृत हुये, तथा इस मद की शेष बची हुई राशि को अन्यत्र व्यय किया गया। ज्ञातव्य है कि समान राशि राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली से भी दी जाती है। राज्य सरकार की तरफ से इस शिक्षा के उन्मुखीकरण परियोजना में उच्च/मध्य विद्यालयों के 9,500 शिक्षकों का उन्मुखीकरण कठिन विषयों में किया गया।

4-युनिसेफ परियोजना

विज्ञान शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण चर्या (1982-83)--इस मद में गैर-जन-जाति क्षेत्र के लिये 3,59,900 रुपये तथा जन-जाति क्षेत्र के लिये 1.90.000 रुपये की स्वीकृति दी गई और लगभग 1,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान शिविर भी आयोजित किये गये।

5-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

राज्य में चल रहे 28 महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में प्रत्येक में 100 छात्राओं तथा 58 पुरुष प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में प्रत्येक में 50 छात्रों का नामांकन हुआ। इसके अतिरिक्त सभी 84 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रत्येक में 50 वास्तविक शिक्षकों के नामांकन का प्रावधान किया गया। राज्य के बाहर अराजकीय प्रस्वीकृत प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी नामांकन हुए।

6-अधूरे भवनों को पूरा करना एवं निर्माण

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सीवान (महिला) की चहारदिवारी निर्माण हेतु 1,84,200 रु० तथा महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बगोदर की चहारदीवारी के निर्माण के लिये 1.65.9 800 रुपये स्वीकृत किये गये। जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चैनपुर (सिंहभूमि) के छात्रावास जीर्णोद्धार हेतु 1,22,676 रुपये स्वीकृत किये गये। इसी क्षेत्र के महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रातू (रांची) के भवन निर्माण एवं मरम्मती हेतु अतिरिक्त 20,000 रुपये तथा बुन्डू, गमहरिया और रातू के लिये सन्दर्भ पुस्तकों के क्रय हेतु 7,324 रुपये स्वीकृत किए गये।

7-प्राथमिक प्रशिक्षण में उन्नयन

84 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में गत वर्ष की तरह एक-एक विज्ञान शिक्षक तथा एक-एक कर्मशाला प्रयोगशाला की सेवा अवधि का विस्तार किया गया। इसके लिये 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

8-उपस्कर

गत वर्ष की तरह उपस्कर हेतु आठ प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में गैर-जन-जाति क्षेत्र में 80,000 एवं जन-जाति क्षेत्र में 20,000 रुपये महाविद्यालयों के लिये अनुदान स्वीकृत किये गये। प्रति प्रशिक्षण संस्थान 1,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई ताकि उन्हें उचित प्रशिक्षणार्थ सुसज्जित किया जाय।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु 1982-83 में उच्च/मध्य विद्यालयों के तीन-तीन शिक्षकों का चयन किया गया।

राज्य शिक्षक पुरस्कार—मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार इस वर्ष नए कार्यक्रम के रूप में उच्च/मध्य विद्यालयों के तीन-तीन सर्वोत्तम शिक्षकों का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु किया गया।

विभाषा फार्मूला के अन्तर्गत तेलगू एवं पंजाबी भाषाओं में शिक्षकों को भेजकर प्रशिक्षित कराया गया।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण **परिषद्**, बिहार की स्थापना 1981 में हुई। प्रारंभ से ही यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक विकास लाने के लिए प्रयत्नशील है। इसके विभिन्न विभागों द्वारा 1982-83 में किए गए कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(1) उक्त अवधि में भाषा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए तीन नियमित चतुर्मासीय प्रशिक्षण चर्याएं आयोजित की गईं जिनमें 154 शिक्षकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश काउन्सिल, कलकत्ता के सहयोग से अंग्रेजी भूल विश्लेषण एवं उपचारात्मक शिक्षण पर रांची, पटना तथा बोकारो में चार कर्मशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 145 शिक्षकों ने भाग लिया।

(2) (क) विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग द्वारा अनवरत शिक्षा योजनान्तर्गत मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 7 तथा आध्यात्मिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 6 चर्याएं आयोजित की गईं जिनमें क्रमशः 242 तथा 109 शिक्षकों ने भाग लिया। 56 विज्ञान पर्यवेक्षक तथा कैमेट परियोजना में 51 गणित शिक्षक प्रशिक्षित हुए।

(ख) प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों के लिए राज्य के 25 केन्द्रों में 28 द्वितीय प्रशिक्षण चर्या का आयोजन किया गया जिससे 700 शिक्षक लाभान्वित हुए।

(ग) वर्ग 3, 4 तथा 5 के लिए सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षिक सामग्री विकसित की गई।

(घ) प्राथमिक विज्ञान किट संदर्शिका विकसित करने के लिए दो कर्मशालाएं आयोजित की गईं। संदर्शिका को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब यह मुद्रणाधीन है।

(ङ) ब्रिटिश काउंसिल विशेषज्ञ श्री आर० एफ० मार्गन के मार्गदर्शन में पर्यावरण द्वारा विज्ञान शिक्षण पर दो कर्मशालाएं आयोजित की गईं।

(च) आल इंडिया साइन्स एडुकेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न केन्द्रों में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण चर्याएं आयोजित की गईं।

(छ) प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय विज्ञान शिविर तथा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें पुरस्कार वितरित किए गए। हर्ष का विषय है कि राज्य स्तर पर सफल हमारे कई छात्र राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भी सफल घोषित हुए।

3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विभाग द्वारा राज्य स्तर पर साधन सेवियों के लिए एक प्रशिक्षण चर्या आयोजित की गई जिसमें शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के व्याख्याता तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर कुछ इकाईयां तैयार की गईं।

4. (क) फिल्म प्रोजेक्टर चालन में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ख) अनवरत शिक्षा योजनान्तर्गत आयोजित गोष्ठियों में फिल्म प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है।

5. अध्यापक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन तथा प्रसार सेवा विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए सर्वेक्षण तथा जिला विकास योजना तैयार करने का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए स्वत: मूल्यांकन पत्रक तैयार किया गया है।

6. शैक्षिक शोध, निर्देशन, मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार विभाग द्वारा (क) माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम का प्रारूप राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसे 1984 से लागू करने का प्रस्ताव है। (ख) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, 1984 के लिए प्रश्नों का चयन प्रक्रियाधीन है। (ग) बालिका शिक्षा पिछड़ेपन परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चार जिलों—पूर्वी चम्पारण, नवादा, औरंगाबाद तथा पलामू में तीन-तीन हरिजन बाहुल्य प्रखंडों का चयन किया गया है जिनमें बालिका शिक्षा पिछड़ापन का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

7. सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का अध्ययन किया जा रहा है और उनके मूल्यांकन के लिए टुल विकसित किया जा रहा है।

8. प्रकाशन शाखा द्वारा अर्द्ध-वार्षिक पत्रिका "आलोक" तथा त्रैमासिक पत्रिका "परिषद् समाचार" का प्रकाशन किया गया।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकाशन जैसे जिला विकास योजना किशोर वैज्ञानिक तथा परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रकाशित किए गए।

9. गत वर्षों की तरह प्रोजेक्ट 1 से प्रोजेक्ट 5 तक के कार्यक्रम भी 1982-83 में संचालित हुए। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त दो अन्य परियोजनाए भी परिषद् द्वारा संचालित होती हैं :—

(1) युनेस्को सहायताप्राप्त जनसंख्या शिक्षा परियोजना।

(2) भारत सरकार की सहायता से संचालित विकलांग शिक्षा परियोजना।

10. कुछ अन्य कार्य भी परिषद् द्वारा किए जा रहे हैं—

(क) बिहार में विद्यालय स्तर की भाषा एवं इतिहास की पुस्तकों की राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के दृष्टिकोण से समीक्षा।

(ख) विद्यालयों में शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिये जन संचार (मास मेडिया) का अधिकाधिक उपयोग।

छात्रवृत्ति

राज्य सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को उनके अध्ययन हेतु यथा संभव अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। अस्तु ऐसे मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं की अन्य शैक्षिक सुविधा देने के साथ-साथ आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी एवं निर्धन छात्रों को प्राथमिक स्तर से लेकर पी० एच० डी० स्तर तक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि की स्वीकृति राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों द्वारा की जाती है परन्तु छात्रवृत्ति के मद में होनेवाले कुल खर्च का अधिकांश व्यय भार राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ रहा है।

मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार 1980-81 की छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी कर दी गई थी तथा छात्रवृत्ति की दर में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि 1981-82 में कर दी गई। 1982-83 में भी इसी वृद्धि दर एवं दुगुनी संख्या पर छात्रवृत्ति की परियोजना चालू रही।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निम्नांकित प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं :—

(क) केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति—यह योजना 1961-62 वर्ष से इस राज्य में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तथा टेकनिकल चर्या के छात्र/छात्राओं को 60 रु० प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रतिमाह से लेकर 170 रु० प्रति छात्र, प्रतिमाह तक की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 1982-83 में करीब 8,816 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 1,27,57,400 (एक करोड़ सत्ताईस लाख सन्तावन हजार चार सौ) रुपए मात्र स्वीकृत की जाती है। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का अंशदान है। सप्तम् वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर गैर-योजना मद से 53,06,000 (तीरपन लाख छः हजार) रु० राज्य सरकार का अंशदान तथा शेष केन्द्र सरकार का अंशदान है।

2. राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति—यह केन्द्रचालित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक परीक्षा के आधार पर उत्तर माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर एवं टेकनिकल स्तर तक 50 रु० (प्रति छात्र) प्रतिमाह से लेकर

125 रुपया प्रतिमाह (प्रति छात्र) तक की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्रा को माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 6,000 रु० तक निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत 53 नवीन छात्रवृत्ति प्रति वर्ष दी जाती है। इस योजना पर प्रति वर्ष 2.54 लाख स्वीकृत की जाती है। सप्तम वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर इस योजना पर होनेवाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार गैर-योजना मद से वहन कर रही है।

3. **राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति:**—यह योजना इस राज्य में 1963-64 वर्ष से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत मेधावी एवं योग्य छात्र/छात्राओं को अध्ययन जारी रखने हेतु ऋण के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा बीच में कुछ वर्षों के लिए इसे बन्द कर दिया गया था। पुनः 1979-80 वर्ष से केन्द्र सरकार ने इसे चालू किया है। इससे प्रति वर्ष 2,000 नवीन छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने की योजना है। यह छात्रवृत्ति जिन छात्रों की दी जाती है, उनके अध्ययन की समाप्ति के बाद उनसे किस्त के रूप में यह वसूल की जाती है और उसे पुनः दूसरे छात्रों को देने का प्रावधान है।

4. **माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति**—यह योजना इस राज्य में 1971-72 सत्र से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा संपन्न बच्चों को माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखंड में 4-4 छात्रवृत्तियां तथा जन-जाति क्षेत्रों के प्रखंडों में 2-2 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां कुल 2,572 छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष (नवीन) छात्रों को दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 250 रु० प्रति वर्ष से लेकर 1,000 रु० प्रति वष (प्रति छात्र) की दर से सातवें वर्ग से प्रारंभ कर दशम वर्ग की माध्यमिक परीक्षा की समाप्ति के माह तक दी जाती है।

सप्तम वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर 50.64 लाख प्रति वर्ष राज्य सरकार गैर-योजना मद से तथा शेष राशि 41,59,740 रु० केन्द्र सरकार वहन कर रही है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्तियां

राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिसका सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार गैर-योजना एवं योजना मद से वहन करती है :—

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर—

(1) पोस्ट मैट्रिक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति

(2) राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति।
(3) स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
(4) राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
(5) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।
(6) विज्ञान पढ़नेवाले छात्राओं को विशेष मेधाविता छात्रवृत्ति।
(7) राज्य के बाहर पढ़नेवाले छात्रों की छात्रवृत्ति।
(8) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले बिहारी छात्रों की छात्रवृत्ति।

1. पोस्ट मैट्रिक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति—वित्तीय वर्ष 1981-82 से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अनुरूप विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति लागू की है। यह छात्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों के चुनाव एवं छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों के माता-पिता अभिभावक के आय का बन्धन है किन्तु विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों के अभिभावक के वार्षिक आय का बन्धन नहीं है। अर्थात् वार्षिक आय जो भी हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को 60 रु० प्रतिमाह से लेकर 150 रु० प्रतिमाह तक (प्रति छात्र) की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

2. **राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति**—वित्तीय वर्ष 1980-81 से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति के अनुरूप राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति लागू की है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति (केन्द्र) के अतिरिक्त है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों के चुनाव एवं छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निहित है। राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्र-छात्रा के माता-पिता की वार्षिक आय का बन्धन है, किन्तु राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आय का बन्धन नहीं है। अर्थात वार्षिक आय जो भी है इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को 60 रु० प्रतिमाह से लेकर 150 रु० प्रतिमाह तक (प्रति छात्र) छात्रवृत्ति दी जाती है।

3. **स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत स्नातक प्रतिष्ठा परीक्षा के आधार पर प्रत्येक विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र तथा दो छात्रा को प्रति वर्ष 120 रु० प्रतिमाह से लेकर 150 रु० (प्रति

छात्र) की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति/विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति देने के बाद के छात्रों को दी जाती है।

4. **राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति**---इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा, इन्टर परीक्षा, के आधार पर छात्र/छात्राओं की मेधा-क्रम में 60 रु० से लेकर 72 रु० तक प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातकोत्तर चर्या में या टेकनिकल संस्थानों में पढ़नेवाले छात्रों को यह छात्रवृत्ति 120 रु० प्रतिमाह की दरसे देय है। छात्रावास में रहकर पढ़नेवाले छात्रों को 30 रु० छात्रावास भत्ता दी जाती है। इस छात्रवृत्ति में आय का बन्धन नहीं है।

5. **मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति**---इस योजना के अन्तर्गत उत्तर माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं को 60 रु० प्रतिमाह से 72 रु० प्रतिमाह तक (प्रति छात्र) की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति इन छात्र/छात्राओं को देय है, जिसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय, छात्र के मामले में 8,000 रु० तक तथा छात्राओं के मामले में 1,000 रु० तक है। यह छात्रवृत्ति मेधाविता क्रम में प्रत्येक विश्वविद्यालयों को आवंटित कोटा के आधार पर दी जाती है।

6. **विज्ञान पढने वाली छात्राओं को विशेष मेधाविता छात्रवृत्ति**---इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा एवं इन्टर परीक्षा के आधार पर मेधाक्रम में चयनित छात्रा को 60 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

7. **राज्य के बाहर पढने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति**---इस योजनान्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के आधार पर 50 छात्रों को 60 रु० प्रतिमाह को दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं को देय है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय, छात्र के मामले में 8,000 रु० तथा छात्रा के मामले में 10,000 रु० तक है।

8. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले बिहारी छात्रों की छात्रवृत्ति---इस योजना के अन्तर्गत बिहारी छात्रों को पी० एच० डी० करने हेतु 300 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है तथा एक छात्र को एकमुश्त में अनुदान के रूप में 3,000 रुपये दी जाती है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां---माध्यमिक स्तर पर निम्नांकित छात्रवृत्तियां स्वीकृत हैं:---

(1) राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति।

(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।

(1) राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति ग्रामीण छात्रों के प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अनुरूप राज्य सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को माध्यमिक स्तर पर राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति 1974-75 सत्र से लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखंडों से 4-4 छात्रों को अर्थात कुल 2,348 छात्रों को एवं शहरी क्षेत्रों के 252 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों के चुनाव एवं अन्य प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निहित है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा चयनित विद्यालयों के छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को 1,200 रु० प्रतिवर्ष विभाग द्वारा चयनित विद्यालयों में छात्रावास से बाहर रहकर पढ़नेवाले छात्रों को 600 रु० प्रतिवर्ष तथा किसी प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों को 300 रु० प्रतिवर्ष देय है।

(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति--इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वर्ग 8 से लेकर 10 तक के छात्र/छात्रा को 18 रु० प्रतिमाह (प्रति छात्र) की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ग) प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्राथमिक स्तर पर निम्नांकित छात्र वृत्तियां स्वीकृत हैं :—

(i) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति।
(ii) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।
(iii) संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति।

(1) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति—यह छात्रवृत्ति मध्य विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 18 रु० प्रतिमाह (प्रति छात्र) की दर से दी जाती है।

(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति—इस योजना के अन्तर्गत 5 से वर्ग 7 तक के छात्र/छात्राओं को मेधाविता क्रम से 12 रु० प्रतिमाह की दर से (प्रति छात्र) दी जाती है।

(3) संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति—इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों को 12 रु० प्रतिमाह की दर से उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार राज्य के संस्कृत उच्च विद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों को 12 रु० प्रतिमाह से लेकर 24 रु० प्रतिमाह (प्रति छात्र) की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(घ) सामान्य छात्रवृत्ति

(1) राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्ति--इस योजना के अन्तर्गत राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक 12 रु० प्रतिमाह से लेकर 48 रु० प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(2) अरबी फारसी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति--इस योजना के अन्तर्गत राज्य के अरबी फारसी पढ़नेवाले छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु 18 रु० प्रतिमाह से लेकर 48 रु० प्रतिमाह (प्रति छात्र) की दर से 15 छात्रों को मेधाविता क्रम से प्रतिवर्ष नवीन छात्रवृत्ति दी जाती है।

(3) मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति---इस योजना के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवकों के तीन बच्चों तक, को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति दी जाती है। प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक 30 रु० प्रतिमाह (प्रति छात्र) तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 50 रु० प्रतिमाह (प्रति छात्र) की दर से 21 वर्ष की उम्र तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को मृत्यु के दूसरे दिन/आदेश निर्गत के 2 वर्ष पूर्व से तथा शिक्षण संस्था में पढ़ने की तिथि से जो पड़े इस अवधि से छात्रवृत्ति देय है।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में गैर-योजना एवं योजना मद में छात्रवृत्तियों पर 4,09,79,681 (चार करोड़ नौ लाख उनासी हजार छः सौ एकासी) रुपये स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 1982-83 में 61,278 नवीन छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। इसमें छात्र/छात्राओं का नामांकन अनुदान छात्र संख्या 1,250 सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कोर्सों की अवधि सीमा के अनुसार उनका नवीकरण किया जाता है। गैर-योजना एवं योजना से स्वीकृत विभिन्न प्रकार छात्रवृत्तियां नीचे की तालिका में अलग-अलग दी गई है :---

छात्रवृत्ति का प्रकार	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	गैर योजना (नवीन)	योजना (नवीन)	योग
1	2	3	4
(क) विश्वविद्यालय स्तर—			
(1) पोस्ट मैट्रिक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।	..	2,258	2,258

छात्रवृत्ति का प्रकार	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	गैर-योजना (नवीन)	योजना (नवीन)	योग
1	2	3	4
(2) राज्य शिक्षक संतान छात्रवृत्ति	..	53	53
(3) राज्य मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृति	6,067	6,067	12,134
(4) स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधा-वित्ता छात्रवृत्ति स्नातक प्रतिष्ठा परीक्षा के आधार पर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एक छात्र एवं एक छात्रा को।	120	120	240
(5) राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति एवं मेधा-सह-निर्धनता।	340	3,250	3,590
(6) विज्ञान पढ़ने वाली छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति।	350	350	700
(7) राज्य के बाहर पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति।	50	50	100
(8) जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहारी छात्रों की छात्रवृत्ति।	1	1	02
विश्वविद्यालय स्तर पर कुल फ्रेस छात्रवृत्ति—	7,434	12,149	19,077
(ख) माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति—			
(1) माध्यमिक स्तर पर राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति।	713	1,887	2,600
(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति (वर्ग-7 से वर्ग-10 तक छात्र/छात्रा को)	3,840	3,840	7,680
माध्यमिक स्तर पर कुल फ्रेस छात्रवृत्ति।	4,553	5,727	10,280

छात्रवृत्ति का प्रकार	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	गैर-योजना (नवीन)	योजना (नवीन)	योग
1	2	3	4
प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति—			
(1) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति ..	5,760	12,804	18,564
(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति (क) वर्ग 5 एवं 6 के छात्राओं को।	1,600	1,600	3,200
(ख) वर्ग 5 से वर्ग 6 तक के छात्र छात्राओं को—	4,258	4,258	8,516
3. संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्र-वृत्ति—			
(क) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति ..	..	100	100
(ख) संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को।	138	138	276
प्राथमिक स्तर पर कुल फ्रेस छात्रवृत्ति।	11,756	18,902	30,656
(घ) सामान्य छात्रवृत्ति			
(1) राजनैतिक पीड़ित के बच्चों को छात्रवृत्ति।	कोई कोटा निर्धारित नहीं है।		
(2) अरबी फारसी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।	15	15	30
(3) मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति।	कोई कोटा निर्धारित नहीं है।		

(5) एन०सी०सी० के कैडेटों के लिए छात्रवृत्ति—राज्य सरकार ने 1980-81 से एन०सी० सी० के कैडेटों के लिए एक नई योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के द्वारा नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जायगा ताकि देश की स्वतंत्रता पर खतरा के समय वे काम आ सके इसके लिए वित्तीय वर्ष 1982-83 में 2,98,080 (दो लाख, अन्ठानवे हजार, अस्सी) रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

(च) एन०डी०ए०/आई०एम०ए० में दाखिला प्राप्त बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति—राज्य सरकार ने वर्ष 1981-82 से एन०डी०ए०/आई०एम०ए० में दाखिला प्राप्त बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की नई योजना लागु की है। इस योजना का उद्देश्य एन० डी० ए०/आई० एम० ए० में दाखिला लेने के लिए बिहारी छात्रों को प्रोत्साहन देना है, जिससे वे देश की सेवा कर सकें। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1982-83 में 90,700 (नब्बे हजार, सात सौ) रु० स्वीकृत की गई है।

ज्ञातव्य है कि हरिजनों, आदिवासियों एवं प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को कल्याण विभाग द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता एवं छात्र वृत्तियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने उपर्युक्त छात्रवृतियां स्वीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्वीकृत की गई राशि का विवरण।

क्रमांक	छात्रवृत्ति का नाम	1982-83 वर्ष में जनजाति क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि।	1982-83 वर्ष में गैर जन-जाति क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि।	1982-83 वर्ष में कुल स्वीकृत राशि।
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि ..	10,35,735	70,99,740	81,35,475
2	माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि ..	15,68,160	76,47,780	92,15,940
3	विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि	26,94,080	1,93,81,478	2,20,75,558
4	विशेष शिक्षा संस्कृत विद्यालयों एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्वीकृत राशि।	..	54,000	54,000
5	सामान्य शिक्षा—राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों एवं अरबी फारसी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्वीकृत राशि।	..	59,928	59,928
6	मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत राशि।	..	10,50,000	10,50,000
7	एन०सी०सी० कैडेटों को छात्रवृत्ति ..	..	2,98,080	2,98,080
8	एन०डी०ए० / आई०ए०एम० में दाखिला प्राप्त बिहारी बच्चों की छात्रवृत्ति।	..	90,700	90,700
	कुल योग ..	52,97,975	3,56,81,706	4,09,79,681

वयस्क शिक्षा

वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यस्क शिक्षा केन्द्रों का खुलना अप्रील 1979 से आरम्भ हुआ किन्तु प्रथम तीन वर्षो में केन्द्रों की खुलने की गति बहुत मन्द रहीं। इसका एक कारण यह भी था कि व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम एक नये कार्यक्रम. के रूप में आरम्भ किया गया और इसके लिए प्रत्येक प्रकार की सामग्री नये सिरे से तैयार करनी पड़ी। केन्द्रों के धीमी गति से खुलने के कारण प्रथम तीन वर्षो में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्त्ति नहीं हो सकी। 1982-83 के वर्ष में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। चूकि पूर्व के वर्षों में सब प्रकार की तैयारियां हो चुकी थी और 1982-83 में केन्द्र खोलने के लिये विशेष प्रयास हुए। अतः वित्तीय वर्ष 1982-83 में लक्ष्य की पूर्त्ति ही नहीं हुई वरन् लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि हुई। सरकार ने 1982-83 के लिए 5 लाख वयस्कों को कार्यक्रम में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया किन्तु 8.23 लाख वयस्क कार्यक्रम. के अन्दर लाये जा सकें।

1982-83 में ही व्यस्क शिक्षा में चलने वाली प्रवेशिकाओं के संशोधित संस्करण भी निकाले गये और शिशिक्षुओं के अभ्यास और उनकी उपलब्धि की जांच के लिए कार्य पुस्तिकाएं बनायी गईं। इसी वर्ष भारत सरकार ने अपने सम्पूर्ण व्यय पर राज्य सरकार के लिए 13 अतिरिक्त परियोजनाओं की स्वीकृति दी। इन 13 परियोजनाओं में कार्यरम्भ की व्यवस्था की जा रही है।

1982-83 म खुल केन्द्रों और नामांकित शिशिक्षुओं का विवरण अनुलग्न है।

1 अप्रैल 1983 [illegible] मार्च, 1983 तक का विवरण

वित्तीय वर्ष 1982-83 का लक्ष्य 5,00,000

	वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत खुले केन्द्र।			वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत खुले केन्द्रों में नामांकित शिशिक्षु।			
	केन्द्र विवरण			शिशिक्षु विवरण।			
	कुल	अनुसूचित जाति।	अनुसूचित जन-जाति	कुल	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति।
भारत सरकार जनजातिय।	497	13	314	13,547	6,159	729	10,645
गैर जनजाति ..	4,967	1,415	135	1,46,532	51,325	41,584	4,414
योग ..	5,464	1,428	449	1,60,079	57,484	42,313	15,059
राज्य सरकार जन-जाति ।	10,678	806	7,017	3,04,078	1,00,865	25,499	1,87,579
गैर जन-जाति ..	11,986	3,348	334	3,58,529	1,24,392	1,00,473	1,199
योग ..	22,664	4,154	7,351	6,62,607	2,25,257	1,25,972	1,88,778
कुल योग ..	28,128	5,582	7,800	8,22,686	2,82,741	1,68,285	2,03,837

छात्र एवं युवा कल्याण

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना**---राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित है। यह योजना राष्ट्र विकास के लिए उपयोगी है। इस योजना से छात्र एवं छात्राओं में सामाजिक सेवा, अनुशासन, छुआछूत तथा गांव में जाकर सफाई कार्य और अच्छे नागरिक बनाने का कर्त्तव्य निष्ठा का प्रशिक्षण दिया जाता है। दैविक प्रकोप में भी गांव में जाकर लोगों को राहत कार्य करना पड़ता है। 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत विशेष शिविरों के कार्य क्रमों में 12,000 (बारह हजार) छात्र एवं छात्राओं के भाग लेने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का खर्च 7:5 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस संबंध में भारत सरकार से विशेष कार्यक्रम के संचालनार्थ प्रथम किस्त के रूप में 3 लाख 20 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। 1982-83 के लिए विशेष शिविरों एवं साधारण कार्यक्रमों के लिए राज्य के योजना उद्व्यय में 9 लाख 25 हजार रुपये निर्धारित था। जिसमें से 94,180 रुपये जनजाति क्षेत्र के लिए एवं 3,55,168 रुपये गैर जनजाति क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया था। उपबंधित राशि से 4 लाख 25 हजार की कटौती की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य के लिए राज्य मुख्यालय में स्थापित प्रशासनिक तंत्र के खर्च हेतु स्वीकृत राशि को छोड़कर शेष राशि पटना/मगध/बिहार/ललित नारायण मिथिला, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत राजेन्द्र कृषि, भागलपुर राँची विश्वविद्यालय एवं इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के बीच आवंटित की गयी जिनके माध्यम से उक्त कार्यक्रम का संचालन किया गया।

2. **स्टेडियम का निर्माण**---खेलकूद के विकास एवं प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने अनुमण्डल जिला मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों में स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान की राशि स्वीकृत की है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा भी स्टेडियम निर्माण हेतु आर्थिक सहायता राज्य सरकार के अनुशंसा किये जाने पर दिया जाता है। 1982-83 में खुले स्टेडियम के निर्माण हेतु गैर जनजाति क्षेत्र के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये एवं जनजाति क्षेत्र के लिए 50 हजार रुपये राज्य के योजना उद्व्यय में निर्धारित राशि थी। लोहरदगा स्टेडियम के निर्माण हेतु 2.50 लाख की राशि स्वीकृत की गयी। 2 लाख रुपये की राशि संजय स्टेडियम, गर्दनीबाग, पटना को स्वीकृत किया गया तथा निर्मली बॉलीबाल स्टेडियम निर्माण हेतु 50 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

3. **युवा महोत्सव**---1981-82 एवं 1982-83 में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विकास लाने तथा युवा वर्ग के लोगों में अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से युवा महोत्सव का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इस युवा महोत्सव के अन्तर्गत कला के प्रत्येक क्षेत्र जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, वादन, वाद-विवाद

शिल्प तथा पेंटिंग में प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर किया जाता है। जिसमें विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों को अपनी-अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। 1982-83 में 1.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से युवा वर्ग के लड़के तथा लड़कियां प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और निर्णायक समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये परिणाम के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को पुरस्कार वितरण किये जाते हैं।

4. **भारत स्काउट एवं गाइड**---बिहार राज्य में भारत स्काउट एवं गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए 1982-83 में गैर जनजाति क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये एवं 50 हजार रुपये जनजाति क्षेत्र के लिए योजना मद में स्वीकृत किया गया था तथा गैर योजना मद में भी दो लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। माध्यमिक एवं मध्य विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के स्काउट एवं गाइड का एक-एक यूनिट स्थापित है। स्काउट एवं गाइड प्रचारक द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्य के लिए जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत रांची एवं पलामू जिला में राज्य स्तरीय भारत स्काउट एवं गाइड संस्था की ओर से प्रचारक पदस्थापित किये गये हैं। जिला प्रमंडल तथा राज्य स्तरों पर स्काउट एवं गाइड की रैली का आयोजन किया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर जम्बूरी का आयोजन किया जाता है जो 1982-83 में बिहार राज्य के बोधगया में सम्पन्न हुआ।

स्काउट एवं गाइड के माध्यम से स्कूली छात्र/छात्रा में अनुशासन प्रेम, सहयोग तथा स्वावलम्बन की भावना का विकास किया जाता है जिससे वे समाज एवं राष्ट्र का एक कुशल नागरिक बन सकें। 1982-83 में इस संस्था को 3.50 लाख का अनुदान की राशि दी गयी।

5. **शारिरिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए उन्मुखी कार्यक्रम**---शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए रिफ्रेसर कोर्स के संचालनार्थ 1982-83 में 40,000 (चालीस हजार) रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रत्येक प्रमंडल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से रिफ्रेसर कोर्स संबंधी शिविरों का आयोजन किया गया। 1982-83 में जनजाति क्षेत्र के लिए उन्मुखी कार्यक्रम के लिए 5 हजार रुपये स्वीकृत किये गये।

6. **प्रशासनिक संगठन**---प्रशासनिक संगठन के सुदृढ़ीकरण में सारण प्रमंडल, छपरा गया प्रमंडल गया, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के लिए अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा एवं कार्यालय स्थापना के पदों की अवधि वृद्धि 28 फरवरी, 1983

तक के लिए की गयी। उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा भागलपुर, सहरसा, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के कार्यालयों के पदों की अवधि विस्तार 28 फरवरी 1983 तक की गयी तथा 28 फरवरी 1983 के बाद भी सभी पदों की अवधि विस्तार के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

गैर जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रों में सहायक शिक्षा निदेशकों के कार्यालयों के पदों को 1 मार्च, 1982 से स्थायीकरण किया गया।

7. कला और संस्कृति--शिक्षा विभाग कला एवं संस्कृति को मानव जीवन के समन्वय का सार एवं प्रगति का प्रतीक मानता है। शिक्षा विभाग कला को सत्य का अन्वेषक, लोक मंगलकारी एवं भारतीय समाज में कला के माधुर्य से अभिप्रेरित किया है।

(क) भारतीय नृत्य कला मंदिर

(ख) स्वैच्छिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान।

गैर योजना

गैर योजना मद के अन्तर्गत 7,32,900 रुपये एवं 34,300 रुपये स्वैच्छिक एवं सांस्कृतिक संथाओं के बीच वितरण किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 8,47,800 रु० बचत की राशि भी वितरित की गयी है। सांस्कृतिक के क्षेत्र में बिहार आर्ट थियेटर, पटना, विन्ध्य कला मंदिर, पटना कला संगम, पटना। कला भवन, पूर्णियां रवीन्द्र परिषद छोटानागपुर, नृत्य कला संस्थान, पटना आदि संस्थाएं, सरकार से अनुदान प्राप्त करने में आगे रही है। साथ ही शिक्षा विभाग कला को उप विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया है एवं इस तथ्य के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थाओं को जो शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम में संलग्न है अनुदान प्रदान किया है। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रमुख है--बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ, पटना। मंदार विद्यापीठ, भागलपुर चेतना समिति, पटना।

योजना

योजना मद के अन्तर्गत शिक्षा विभाग सांस्कृतिक एवं कला प्रदर्शनकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करती है। इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को संचित एवं समृद्ध रखना, कला की गरिमा को बढ़ाना एवं कला की उपयोगिता को जीवन में दर्शाना है। दक्षिण भारतीय सास्कृतिक संघ, पटना को योजना मद में 1,15,000 (एक लाख) पन्द्रह हजार रुपय की राशि दी गयी है।

बिहार राज्य कला अकादमी, पटना

शिक्षा विभाग, बिहार राज्य कला अकादमी की स्थापना पर अपना यश बढ़ाया है एवं कला विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। तत्काल बिहार राज्य कला अकादमी को 2,00,000 लाख रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान प्राप्त है। इस अकादमी द्वारा नृत्य, नाट्य, संगीत एवं ललित कला का विकास विशेष रूप किया जा रहा है।

8. **राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता अभियान:**—1982-83 में शारीरिक क्षमता कार्यक्रम के संचालन हेतु एक लाख रुपये का उपबंध था जिसमें गैर जनजाति क्षेत्र के लिए 37,650 (सैंतीस हजार छः सौ पचास रुपये) एवं जनजाति क्षेत्र के लिए 20 हजार रुपये स्वीकृत किये गये थे। राज्य भर में कुल बाईस स्थायी जांच सह-प्रशिक्षण केन्द्र तथा 406 अस्थायी जांच केन्द्र खोले गये थे। इन केन्द्रों में कुल 1,00,474 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। 89,230 उम्मीदवार जांच में शामिल हुए और 34,980 उम्मीदवार विभिन्न तारकों में सफलता प्राप्त किए। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर में सम्पन्न हुआ में भाग लेने हेतु राज्य स्तर पर सात प्रतियोगियों का चुनाव हुआ।

9. **(क) बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद्**—बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद को खेल-कूद के विकास एवं स्थापना मद में व्यय के लिये कुल 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, छोटानागपुर संथाल परगना के लिए अलग क्रीड़ा परिषद् की स्थापना की गई।

(ख) खेलकूद विकास केन्द्र

क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में राज्य के जनजाति एवं गैर जनजाति क्षेत्रों में चल रहे क्रीड़ा विकास केन्द्रों पर व्यय वहन हेतु 6 लाख 19 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गयी।

(ग) ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन 2 लाख 65 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी। इस राशि से पंचायत प्रखंड एवं जिला स्तरों पर प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के उपरान्त अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवेश हेतु खिलाड़ियों का चयन जिला-धिकारियों के माध्यम से कराने हेतु राज्य के प्रत्येक प्रखंड को 200 रु० तथा प्रत्येक जिला के लिये एक-एक हजार रुपये की राशि जिला पदाधिकारियों को

बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा दिया गया। शेष राशि अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय किया गया। जिसका आयोजन कर्नाटक राज्य के शिमोंगा तथा केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम में किया गया था। उक्त दोनों प्रतियोगिता में इस राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। शिमोंगा में एथलेटिक्स बालक एवं बालिका) की टीम 7 स्वर्ण, 5 रजत एवं 3 कास पदक प्राप्त किया। पदक प्राप्त करने वाले राज्यों में बिहार राज्य के खिलाड़ियों ने सर्व प्रथम स्थान प्राप्त किया: इसके अतिरिक्त त्रिवेन्द्रम में आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में कुश्ती में एक रजत पदक प्राप्त किया।

(घ) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में चल रहे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा मुजफ्फरपुर एवं रांची में जिला क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों को यथावत् चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। यह राशि बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद् को उक्त क्षेत्रीय एवं जिला क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर व्यय वहन करने हेतु दिया गया।

(च) अखिल भारतीय महिला महोत्सव का आयोजन इस वर्ष दिल्ली में किया गया। बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रतियोगी भेजे गये। हॉकी में महिला प्रतियोगियों में रजक पदक प्राप्त कर भारत के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित हुए।

(छ) राज्य के जनजाति एवं गैर जनजाति क्षेत्रों के विद्यालयों में बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा विकास केन्द्र चलाये जा रहे है जहां प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर नामांकन किया जाता है। उन्हें पौस्टिक आहार के लिये 150 रुपया प्रतिमाह वृतिका के रूप में दी जाती है। ये क्रीड़ा विकास केन्द्र निम्नांकित विद्यालयों में चल रहे हैं :—

(1)	हौकी (बालक) ..	एस०एस० हाई स्कूल, खूंटी।
	हौकी (बालिका) ..	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, वरियातु, राँची।
(2)	एथलेटिक्स (बालक)	एस० एस० हाई स्कूल, गुमला
	एथलेटिक्स (बालिका)	संत तरेसा बालिका उच्च विद्यालय, महुआडांड़
(3)	फुटबालक (बालक)	जिला स्कूल, दुमका
	फुटबाल (बालक) ..	संत इग्नासियस हाई स्कूल, गुमला
	फुटबाल (बालक) ..	राज हाई स्कूल, बेतिया
(4)	बोलीवाल (बालक)	जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर

इसके अतिरिक्त कल्याण विभाग के सहयोग से विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरों पर मात्र जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए भी क्रीड़ा विकास केन्द्र निम्नांकित विद्यालय/महाविद्यालय में स्थापित है—

होकी (बालक) .. संत मेरी उच्च विद्यालय, सामटोली, सिमडेगा

महाविद्यालय स्तर पर

हौकी (बालक) .. विरसा महाविद्यालय, खूंटी

हौकी (बालिका) .. महिला महाविद्यालय, चाईबासा

एथलेटिक्स (बालक) .. टाटा महाविद्यालय, चाईबासा

इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में प्रत्येक जिले में दो-दो ग्रामीण क्रीड़ा केन्द्र स्थापित है जिसकी देखरेख उक्त विद्यालय के शिक्षक द्वारा किया जाता है। वर्त्तमान में इसकी संख्या 62 है जो राज्य के पुराने जिलों में स्थापित है।

10. शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित क्रीड़ा कार्यक्रम

3.75 लाख रुपये इस मद में उपबंधित था। अवर प्रमण्डल से प्रमंडल तक अन्तर्विद्यालीय खेलकूद प्रतियोगिता कराकर, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एवं अर्न्तराज्य प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न खेलों की टीम भेजी गई। अखिल भारतीय विद्यालीय क्रीड़ा प्रतियोगिता (शीतकालीन) का आयोजन दिनांक 9 फरवरी 1983 से 13 फरवरी 1983 तक युवा कल्याण निदेशालय, शिक्षा विभाग द्वारा रांची में आयोजित कराया गया। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों ने भाग लिया। बिहार का विद्यालीय हौकी बालक एवं बालिका दल सर्वश्रेष्ठ घोषित किये गये एवं स्वर्ण पदक प्राप्त किये।

सुव्रतो फुटबाल टुर्नामेन्ट का आयोजन दिल्ली में किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजयोपरान्त क्रीड़ा परिषद् द्वारा संचालित फुटबाल क्रीड़ा विकास केन्द्र संत इग्नासियस उच्च विद्यालय, गुमला की टीम इस प्रतियोगिता में भाग लिया तथा दूसरा स्थान प्राप्त कर रनर घोषित हुआ।

जलंधर में अनुष्ठित अखिल भारतीय शीतकालीन विद्यालीय खेलकूद प्रतियोगिता में इस राज्य की टीमों ने भाग लिया। एथलेटिक्स में 3 स्वर्णपदक 4 रजत पदक वं पांच कांस पदक प्राप्त हुआ।

11. जनजाति एवं गैर जनजाति क्षेत्र में क्रीड़ा प्रशिक्षकों का पदस्थापन:

1978 में जनजाति क्षेत्र के लिए 8 क्रीड़ा प्रशिक्षकों एवं गैर जनजाति क्षेत्र के लिए 4 क्रीड़ा प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।

जनजाति क्षेत्र के लिए नियुक्त 8 क्रीड़ा प्रशिक्षकों में से 4 क्रीड़ा प्रशिक्षकों का पदस्थापन जनजाति क्षेत्र में पूर्व में ही कर दिया गया था, शेष 4 क्रीड़ा प्रशिक्षकों का पदस्थापन जनजाति क्षेत्र में अब कर दिया गया है।

इसी तरह गैर जनजाति क्षेत्र के लिए नियुक्त अन्य 4 क्रीड़ा प्रशिक्षकों का भी पदस्थापन गैर जनजाति के विभिन्न जिलों में कर दिया गया है।

पाटलीपुत्र नगरी में राष्ट्रीय स्तर पर संजय गांधी गोल्ड कप अखिल भारतीय फुटबाल टुर्नामेन्ट का आयोजन 10 मार्च, 1981 से प्रारम्भ किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न भागों से मेधावी एवं उच्चकोटि के खिलाड़ी भाग लिये। इस प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा चार लाख रुपये अनुदान स्वरुप स्वीकृत किया गया। अंतिम मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग कल्ब, कलकत्ता विजयी रहा।

इसी प्रकार 1982 में भी इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना में ही किया गया। इस वर्ष भी इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपये अनुदान स्वरुप स्वीकृत किया गया। इसमें देश के कोने-कोने से उत्तम कोटि की टीमों ने भाग लिया। अन्त में विजय का सेहरा मोहम्मडन स्पोर्टिंग कल्ब, कलकत्ता को ही मिला।

1983 में इस कार्य के लिये 5.50 लाख रुपये अनुदान स्वरुप स्वीकृत किया गया। इस वर्ष भारतीय टीमों के अतिरिक्त पड़ोसी देश नेपाल की टीम ने भाग लिया। काठमांडू एकादश (नेपाल) की टीम विजयी हुई।

राष्ट्रीय कैडेटकोर (एन०सी०सी०)

एन० सी० सी० की स्थापना भारत सरकार के अधिनियम, 1948 के आलोक में की गई थी। कालेज तथा स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अन्दर सैन्य प्रशिक्षण, एकता एवं अनुशासन की विस्तृत जानकारी देने हेतु इस संगठन की स्थापना हुई थी। एन० सी० सी० के ऊपर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का योगदान होता है। इस संगठन में सैनिक, सेना के पदाधिकारी एवं राज्य सरकार के भी कर्मचारी कार्यरत हैं। यह शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है और इसका एक पृथक निदेशालय है जो एन० सी० सी० निदेशालय के नाम से जाना जाता है। इसके निदेशक ब्रिगेडियर स्तर के सेना के पदाधिकारी होते हैं। निदेशक को सहयोग देने के लिये ग्रुप मुख्यालय है, जो सेना के ले० कर्नल स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित होता है। इन्हीं ग्रूप मुख्यालयों के अधीन एन० सी० सी० के 44 बटालियन कार्यशील हैं।

(क) एन० सी० सी० निदेशालय, बिहार, पटना।

(ख) एन० सी० सी० ग्रूप मुख्यालय, पटना तथा इसके अधीन कार्यशील एन० सी० सी० बटालियन एवं कम्पनी :—

1. 1 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, पटना।
2. 11 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, पटना।
3. 26 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, पटना।
4. 29 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, पटना।
5. 1 बिहार गर्ल्स (स्वतंत्र) कम्पनी एन० सी० सी०, पटना।
6. 1 बिहार नेवेल यूनिट एन० सी० सी०, पटना।
7. 1 बिहार मेडिकल यनिट एन० सी० सी०, पटना।
8. 1 बिहार एयर स्क्वाड्रन एन० सी० सी०, पटना।
9. 1 बिहार आर्म्ड स्क्वाड्रन एन० सी० सी०, पटना।
10. 1 बिहार सिगनल कम्पनी एन० सी० सी०, पटना।

(ग) एन० सी० सी० ग्रूप मुख्यालय, गया।

1. 5 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, आरा।
2. 6 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, गया।
3. 13 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, औरंगाबाद।
4. 27 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, गया।
5. 30 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, बक्सर।

6. 38 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, बिहारशरीफ।
7. 42 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, सासाराम।

(घ) एन० सी० सी० ग्रूप मुख्यालय, रांची।

1. 3 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, रांची।
2. 19 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, रांची।
3. 36 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, धनबाद।
4. 37 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, जमशेदपुर।
5. 44 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, डालटेनगंज।
6. 22 बिहार बटालियन एन० सी० सी., हजारीबाग।
7. 3 बिहार गर्ल्स (स्वतंत्र) कम्पनी एन० सी० सी०, रांची।
8. 2 बिहार एयर स्क्वाड्रन एन० सी० सी०, रांची।
9. 3 बिहार कम्पोजिट टेकनिकल कम्पनी एन० सी० सी०, मेसरा।
10. जूनियर डिविजन स्वतंत्र कम्पनी एन०सी०सी० सैनिक स्कूल, तिलैया।
11. 5 बिहार गर्ल्स (स्वतंत्र) कम्पनी एन० सी० सी०, धनबाद।

(च) एन० सी० सी० ग्रूप मुख्यालय, भागलपुर।

1. 4 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, भागलपुर।
2. 9 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, मुंगेर।
3. 17 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, भागलपुर।
4. 35 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, पूर्णिया।
5. 2 बिहार गर्ल्स (स्वतंत्र) कम्पनी एन० सी० सी०, भागलपुर।
6. 4 बिहार गर्ल्स (स्वतंत्र) कम्पनी एन० सी० सी०; सहरसा।
7. 2 बिहार सिगनल कम्पनी एन० सी० सी०, भागलपुर।
8. 23 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, भागलपुर।

(छ) एन० सी० सी० ग्रूप मुख्यालय, मुजफ्फरपुर।

1. 2 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, मुजफ्फरपुर।
2. 7 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, छपरा।
3. 8 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, दरभंगा।
4. 25 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, मोतिहारी।
5. 32 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, मुजफ्फरपुर।
6. 34 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, मधुबनी।
7. 12 बिहार बटालियन एन० सी० सी०, समस्तीपुर।
8. 2 बिहार मेडिकल यूनिट एन० सी० सी०, दरभंगा।

बटालियन के अन्दर ट्रूप एवं कम्पनी होते हैं, जिसके पदाधिकारी अंशकालीन पदाधिकारी होते हैं। शिक्षा विभाग में एन० सी० सी० सीधे शिक्षा आयुक्त के अधीन है। बिहार में एन० सी० सी० शिक्षा विभाग के अन्तर्गत का एक संगठन है और 1972 में विभागाध्यक्ष की कुछ प्रशासनिक एवं वित्त शक्तियां, निदेशक, एन० सी० सी० को प्रत्यायोजित की गई है, जिससे उसमें कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा सके।

बिहार सरकार का एन० सी० सी० के ऊपर होने वाले, व्यय गैर-योजना मद से किया जाता है। जिसका कुल अनुमानित राशि 1,50,00,000 रु० है।

प्रशिक्षण

स्कूल एवं कालेज के छात्र एवं छात्राओं को एक कुशल नागरिक एवं कुशल सैनिक तैयार करने का प्रशिक्षण देता है। आधुनिक रूप से प्रशिक्षण देने का साधन इस संगठन के अन्तर्गत मौजूद है। एन० सी० सी० के छात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी शिविरों का आयोजन होता है और इन शिविरों में चयन किये गये छात्रों को ही भेजा जाता है, ताकि वे और अच्छे वातावरण में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। एन० सी० सी० के द्वारा छात्र-छात्राओं को समुद्री सेना, थल सेना, वायु सेना एवं यांत्रिक सेना के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। समुद्री सेना का शिविर किसी अच्छे समुद्री बंदरगाह के समीप आयोजित किया जाता है। वायु सेना के प्रशिक्षण में पैरा ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे छात्र/छात्राओं को हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर एक छतरी के सहारे कुदाया जाता है। थल एवं यांत्रिक सेना में उसी अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है, समाज में सभी स्तर के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित कर भाईचारे का संदेश देने हेतु पदयात्रा, साईकिल एक्स्पीडिशन, नौका अभियान, समाज सेवा आर० डी० सी० जैसे दुरूह कार्यों का भी आयोजन किया जाता है। अच्छे छात्रों को विदेश में भी भेजा जाता है, ताकि वे उस जगह प्रशिक्षण पा सकें। राज्य सरकार सब कार्यों हेतु आर्थिक एवं प्रशासनिक सहयोग भी देती है। प्रशिक्षण देने के लिये रक्षा मंत्रालय के 46 सैनिक पदाधिकारी, 196 जूनियर कमीशण्ड पदाधिकारी एवं 468 कमिशण्ड पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति हैं। उसके अलावा स्कूल एवं कालेजों के 667 अध्यापक/शिक्षक अंशकालीन पदाधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं।

उपलब्धियां

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से स्थापित यह संगठन छात्र एवं छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है तथा इसमें रूचि रखने वाले छात्र/छात्राओं

की संख्या दिनानुदिन बढ़ती गई है इसको और भी अधिक लोकप्रिय एवं अनुशासित बनाने हेतु प्रति साल स्कूल/कॉलेजों के ट्रूप/कम्पनियों का पुनर्गठन किया जाता है। एन० सी० सी० के प्रशिक्षित छात्र/छात्राओं को प्रत्येक स्थानों पर प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल में ट्रूप के छात्रों का जूनियर डिविजन के ए पार्ट-I एवं II लड़कियों के लिये जे पार्ट-I एवं II तथा कॉलेज में कम्पनी के छात्रों को सीनियर डिविजन बी एवं सी एवं लड़कियों के लिये जी-I एवं जी-II प्रमाण-पत्र दिया जाता है। सैनिक प्रशिक्षण में बिहार के स्कूल/कॉलेज के छात्र/छात्राये काफी प्रशिक्षित हो गई है। राज्य के 172 कॉलेजों एवं 381 स्कूलों में एन० सी० सी० का प्रशिक्षण होता है। कॉलेजों में 27,200 छात्र एवं 3,300 छात्राएं प्रशिक्षणरत हैं। स्कूलों में 43,200 छात्र एवं 3,300 छात्रायें प्रशिक्षण पा रही हैं। वर्ष 1982-83 में पुनः 1,120 एन० सी० सी० कैडेटों की अभिवृद्धि की गई है।

छात्रवृत्ति

(क) बिहार सरकार ने एन० सी० सी० के 650 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 133, दिनांक 12 मार्च 1983 के द्वारा की है, जो एन० सी० सी० के अच्छे कैडेट है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नवत है। वर्ष 1982-83 के लिये कुल 2,98,080 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है

	छात्रवृत्ति की संख्या	दर
सिनियर डिविजन के छात्रों हेतु	173	60 रु० प्रतिमाह
सिनियर डिविजन के छात्राओं के लिये ..	5	60 रु० प्रतिमाह
जूनियर डिविजन के छात्रों के लिये ..	439	30 रु० प्रतिमाह
जूनियर डिविजन के छात्रों के लिये	33	30 रु० प्रतिमाह

एन० डी० ए० छात्रवृत्ति/अलवर्ट एक्का छात्रवृत्ति

(ख) यह छात्रवृत्ति राज्यादेश संख्या 157, दिनांक 25 मार्च 1982 द्वारा वर्ष 1981-82 से दी जाती है इस आदेश द्वारा 62,500 रु० की राशि स्वीकृत की गई थी। एन० डी० ए० खड़गवासला (पूना महाराष्ट्र) में पढ़ने वाले बिहारी छात्रों को गुणवेता के आधार पर 50 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रारम्भ में प्रति छात्र को क्लोदिंग एवं इक्वेपमेंट के लिये एक 650 रु० तथा प्रतिमाह 50 रु० की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। एन० डी० ए० छात्रवृत्ति के नामकरण राज्यादेश संख्या 702, दिनांक 18 दिसम्बर

1982 द्वारा "अलवर्ट एक्का छात्रवृत्ति" किया गया है। अतः यह छात्रवृत्ति अब अलवर्ट एक्का छात्रवृत्ति कहलाता है। वर्ष 1982-83 के लिये इस छात्रवृत्ति हेतु राज्यादेश संख्या 108, दिनांक 5 मार्च 1983 द्वारा कुल राशि 90,700 रु० की स्वीकृति दी गई है।

अनुग्रह-अनुदान

एन० सी० सी० प्रशिक्षण की अवधि में किसी कैडेट के आकस्मिक मृत्यु अथवा गंभीर दुर्घटना पर सरकारी अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं। बिहार सरकार वर्ष 1982-83 में निम्नलिखित कैडेटों को यह राशि अनुग्रह-अनुदान के रूप में राज्यादेश संख्या 77, दिनांक 9 फरवरी 1983 एवं 203, दिनांक 12 अप्रील 1983 द्वारा स्वीकृत की है।

1. कैडेट राजीव रंजन, एच० एस० कॉलेज, हवेली खड़गपुर।	10,000 रु० (मृत्यु परान्त)
2. गम्भीर रूप से घायल कैडेट विजय कुमार, जे० आर० एस० कॉलेज, जमालपुर।	3,000 रु०
3. कैडेट सुरेन्द्र शर्मा, जिला स्कूल, मुंगेर ..	10,000 रु० (मृत्यु परान्त)
4. कैडेट हरिन्द्र मंडल, भालूवासा हाई स्कूल, जमालपुर।	10,000 रु० (मृत्यु परान्त)

अन्य सुविधायें

बिहार सरकार एन० सी० सी० कैडेटों के प्रशिक्षण हेतु जलपान-भत्ता, धुलाई-भत्ता, शिविरों में भाग लेने वाले कैडेटों को यात्रा-भत्ता, भोजन-भत्ता इत्यादि देती है। इसके अलावे वैसे बहुत से और भी प्रश्न है जो सरकार के विचाराधीन है।

एन० सी० सी० कैडेटों के लिये जलपान-भत्ता

राज्य सरकार ने एन० सी० सी० के वरीय एवं कनीय श्रेणी के कैडेटों को जलपान-भत्ता के निमित्त 30 पैसा प्रति परेड से बढ़ा कर 50 पैसा की अभिवृद्धि राज्यादेश संख्या 103, दिनांक 13 मार्च 1982 द्वारा कर दी है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय

भारत सरकार की अनुशंसा के फलस्वरूप अन्य राज्यों की भांति बिहार राज्य में भी सांस्कृतिक धरोहर की समुचित सुरक्षा तथा संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधानात्मक एवं संरक्षणात्मक विकास हेतु 1961 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई। राज्य के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों की खोज, उनका उत्खनन, प्राचीन स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों की समुचित सुरक्षा, संग्रहालयों की स्थापना, संग्रहालय में संकलित सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण एवं उनके समुचित प्रदर्शन के माध्यम से सर्वसाधारण को शिक्षा देना और संग्रहालयों को शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित करना, पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों का निबंधन, गैर-सरकारी संग्रहालयों और पुरातत्व एवं संग्रहालय के विकास हेतु अनुसंधान कार्य ठोस योगदान देनेवाली गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान स्वीकृत करना आदि निदेशालय के प्रमुख कार्यों में से है।

स्थापना के बाद से निदेशालय के उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त निरन्तर प्रयास किये गये और फलस्वरूप संतोषप्रद प्रगति भी हुई जिनमें 1982-83 वर्ष की उपलब्धियां निम्नांकित रहीं :—

अन्वेषण :

1982-83 में निदेशालय के निदेशक की देख-रेख में तकनीकी पदाधिकारी और कर्मचारियों का एक अन्वेषण दल तैयार कर पलामू जिले के अन्तर्गत उत्तरी कोयल घाटी में प्रागैतिहासिक अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया गया। अभी तक हाथीगाड़ा, पोलडीह, भाछूबारा, अलीनगर और काला पहाड़ नामक स्थलों के अन्वेषण सम्पन्न किये गये। इसके फलस्वरूप हाथीगाड़ा से सूक्ष्म पाषाण-युगीन तथा भाछूबारा से नव-पाषाण कालीन उपकरण एकत्र किये गये।

उत्खनन :

गया जिलान्तर्गत बोध गया के निकट तारादीह नामक स्थल के पुरातात्विक महत्व के जानने के उद्देश्य से जांच-उत्खनन किया गया जिसके फलस्वरूप ताम्र पाषाण काल से पाल काल तक की पांच संस्कृतियों के अवशेष प्रकाश में आये। ताम्र पाषाण काल के, जिसका प्रारम्भ 1500—1000 ई० पू० के बीच हुआ होगा, मानव, लकड़ी, फूस तथा मिट्टी के लेप से निर्मित झोपड़ियों में रहते थे। उनकी अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी यद्यपि शिकार तथा कन्द मूल अभी भी जीवन-निर्वाह के महत्वपूर्ण साधन बने हुए थे। घरेलू

उपयोग के लिए मिट्टी के साधारण बर्त्तन बनाये जाते थे। पात्रों को सुसज्जित करने की कला भी ताम्रपाषाण कालीन मानव को ज्ञात थी। कुछ बर्त्तनों पर सफेद रंग की चित्रकारियां पाई गई हैं। मछली मारने की बंसी की ताम्र अंकुशी बिहार में सर्वप्रथम इसी स्थल से उपलब्ध हुई है।

अगला काल लगभग 700—600 ई०पू० में आरम्भ हुआ। मिट्टी के बर्त्तन बनाने की कला बहुत विकसित अवस्था पर पहुंच गई। यदि यह कहा जाय कि बर्त्तन बनाने की कला इस युग में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी तो अत्युक्ति नहीं होगी। इन बर्त्तनों पर आइने के समान चमकने वाली चमकीली पालिश होने लगी। इसी युग के साथ लोहे का भी प्रयोग शुरू हो गया। इस काल से सिक्कों पर आधारित अर्थ-व्यवस्था शुरू हुई।

तृतीय काल से कुषाण कालीन पुरावशेष उपलब्ध हुए। चतुर्थ काल गुप्त और परवर्ती गुप्तों से सम्बद्ध है। इन स्तरों से पत्थर से निर्मित बुद्ध और अवलोकितेश्वर की मूर्त्तियां, मन्दिर की प्रतिकृति, मनौती-स्तूप, पक्की मिट्टी की मुहरें आदि की उपलब्धि हुई।

अन्तिक काल से पाल कालीन बिहारों के ध्वंसावशेष प्रकाश में आए। सीमित उत्खनन के कारण इनका प्लान नहीं जाना जा सका है। बुद्ध और तारा की प्रस्तर मूर्त्तियां इन स्तरों से उपलब्ध हुई हैं। अभी उत्खनन कार्य पूरा नहीं हुआ है।

नवादा जिलान्तर्गत अपसढ़ नामक स्थल के उत्खनन से परवर्त्ती गुप्त कालीन राजा आदित्यसेन के समय के ईंटों के बने एक विष्णु मन्दिर के अवशेष प्रकाश में आए। इसको तत्कालीन मन्दिर-स्थापत्य कला का आदर्श प्रतिनिधि माना जा सकता है। इस विष्णु मन्दिर का निर्माण पांच तलों में पक्की ईंटों से हुआ जिसके प्रत्येक तल में प्रदक्षिणा पथ बनाए गए। प्रत्येक तल की बाहरी दीवारों में सुन्दर कार्निस थे। मन्दिर के सब से निचले तल की दीवारों के बाहरी भाग में रामायण पर आधारित स्टको पैनल लगाए गए। मन्दिर का गर्भगृह सबसे ऊपर था। मन्दिर के ऊपर चढ़ने के लिए उत्तरी दिशा में एक सीढ़ी बनाई गई थी। उत्खनन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

पुरातत्विक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण

राज्य सरकार द्वारा धारित बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 के सफल कार्यान्वयन के लिए प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों एवं पुरावशेषों के संरक्षण हेतु सीमित साधनों के बावजूद प्रभावकारी कदम उठाये गये।

संरक्षण कार्य के प्रथम चरण के रूप में पटना जिलान्तगत गोलघर, अगमकुंआ बेगुहज्जाम तथा दो रूसी प्रतिमा, भागलपुर जिले में कहलगांव स्थित महमूद शाह का मकबरा तथा खेरी हिल्स, रोहतास जिले में शेर गढ़ का किला, सब्जीमंडी तथा अलाबल खां का मकबरा, सासाराम; बैशाली जिलान्तगत नेपाली मन्दिर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कटरागढ़; पूर्णियां जिलान्तर्गत जलालगढ़; सहरसा जिलान्तर्गत कन्दाहा सूर्य मन्दिर; भोजपुर जिलान्तर्गत आरा हाउस तथा चौसागढ़; संथाल परगना जिलान्तर्गत राजमहल का पुराना किला (कचहरी) तथा संगीदालान और औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाऊद खां का किला, दाऊदनगर को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित घोषित कर दिये गये हैं।

उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों को सुरक्षित घोषित करने के लिए प्रथम अधिसूचना जारी कर दी गई है:—गया जिलान्तर्गत रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियां तथा विष्णुपद मन्दिर; मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर किला;, भोजपुर जिलान्तर्गत बक्सर किला का मैदान, नालन्दा जिलान्तर्गत सैयद सुम्मन मदारी उर्फ जमाल शाह का मजार, हिलसा; नवादा जिलान्तर्गत पार्वती पहाड़ी तथा संथाल परगना जिलान्तर्गत शिकारीपाड़ा के निकट स्थित मालूती के 54 मन्दिर समूह।

उपर्युक्त प्राचीन स्थलों और स्मारकों के अतिरिक्त पूर्णियां जिलान्तर्गत सिक्लीगढ़ तथा बनमंखीगढ़; सारण जिलान्तर्गत चिरांद तथा दिघवादुबौली; भोजपुर जिलान्तर्गत देववर्णारक तथा गुलाम हैदर खां एवं शिवकुली खां का मकबरा, कठकौली; रोहतास जिलान्तर्गत देवमार्कण्डेय; भागलपुर में क्लीव लैंड स्मारक; बिहार शरीफ में किला तथा रानी का महल; मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत लालगंज का नील कोठी; बेगुसराय जिलान्तर्गत जयमंगलागढ़ तथा नवलागढ़ और समस्तीपुर जिलान्तर्गत पाण्डवगढ़ को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित घोषित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

सुरक्षित घोषित किये गये स्थलों और स्मारकों के संरक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है किन्तु अल्प साधनों के कारण इस कार्य में संतोषप्रद प्रगति नहीं हो पा रही है। सम्प्रति अगमकुंआ पुरातात्विक स्थल को तार से घेर कर और दो-रूखी देवी के मन्दिर में प्लास्टर कार्य करवा कर सुरक्षित किये गये हैं। गोलघर, बेगू हज्जाम की मस्जिद, कलमदह जैन मन्दिर, छोटी पटन देवी, अगमकुआं तथा दो-रूखी देवी नामक पुरातात्विक स्थलों पर सांस्कृतिक-पट्टिकाएं एवं अधिनियम पट्टिकाएं लगाई गई हैं।

संग्रहालय

राज्य की सांस्कृतिक सम्पदा की सुरक्षा से संबंधित सरकारी नीति के सफल कार्यान्वियन हेतु प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक-एक संग्रहालय स्थापित करने की

योजना है। पिछले वर्षों में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बक्सर, बिहार शरीफ, लखीसराय, बेतिया, हाजीपुर, छपरा, मधुबनी और दुमका में नए राजकीय संग्रहालयों की स्थापना की गई। इनके अतिरिक्त दरभंगा में दरभंगा राज द्वारा प्रदत्त पुरावशेषों और कलाकृत्तियों के फलस्वरूप महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना भी हुई। पटना, दरभंगा, गया, रांची, नवादा, भागलपुर और जगदीशपुर में राजकीय संग्रहालय पहले से ही कार्यरत हैं।

संग्रहालयों की स्वीकृति और कार्यारम्भ में समयान्तर होता है। पिछले वर्ष तक स्वीकृत नए संग्रहालयों का कार्य 1982-83 में शुरू किया गया। कारण यह है कि संग्रहालयों की स्वीकृति के पश्चात इनके चलाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों को एकत्र करना पड़ता है, सामग्रियां एवं पुरावशेष एकत्र करने पड़ते हैं, उनके प्रदर्शन की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमें काफी समय लगता है। अभी नव-सृजित संग्रहालयों के संगठन और पुरावशेषों एवं कलाकृतियों के संकलन की दिशा में आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं। सम्प्रति महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा, बेगूसराय संग्रहालय बेगूसराय और दुमका संग्रहालय, दुमका दर्शकों के लिए खोल दिये गये हैं।

निदेशालय के निरन्तर प्रयास से यह धारणा कि संग्रहालय केवल पुरावशेषों और कलाकृतियों का संग्रह-स्थल है, अब बदल रही है। यह सर्वविदित है कि संग्रहालय कम खर्च पर व्यावहारिक शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। अतः संग्रहालयों को शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र और माध्यम बनाये जाने तथा जन-जीवन को उसके निकट लाने और उनमें सांस्कृतिक सम्पदा की सुरक्षा के प्रति जागरुकता लाने और सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से राज्य के सभी संगठित संग्रहालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

सांस्कृतिक सम्पदा की सुरक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में "संग्रहालय सप्ताह" का आयोजन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इस आयोजन के दौरान विभिन्न संग्रहालयों में प्रमुख विद्वानों द्वारा व्याख्यान दिये गये, सांस्कृतिक विषयों पर चल-चित्र दिखाये गये, विचार गोष्ठी और संगीत आदि के कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई पीढ़ी, विशेषकर स्कूली विद्यार्थियों को संग्रहालय की ओर आकृष्ट करने और उन्हें पुरावशेषों एवं कलाकृतियों के प्रति जागरुक बनाने के उद्देश्य से राजकीय संग्रहालयों में स्थल-पर-चित्रांकन, वाद-विवाद निबन्ध-लेखन, चित्र कहानी लेखन, हस्त-शिल्प, नृत्य एवं संगीत आदि की अन्तर्विद्यालय प्रतियोगितायें आयोजित की गई और सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विशेष प्रदर्शनियों के आयोजन भी किये गये। इनमें पटना संग्रहालय, पटना में अस्त्र-शस्त्र, गया संग्रहालय, गया में भारतीय एवं विदेशी सिक्के नारद: संग्रहालय, नवादा में अस्त्र-शस्त्र", महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय,

दरभंगा में "हस्तशिल्प" विषयों पर आयोजित विशेष प्रदर्शनियां उल्लेखनीय रही। इसी अवसर पर पटना संग्रहालय, पटना में भूतपूर्व लोकायुक्त डा० श्रीधर वासुदेव सोहोनी द्वारा प्रदत्त पुरावशेषों की "सोहोनी दीर्घा" भी दर्शकों के लिए खोल दी गई।

संग्रहालयों में साधन की कमी के बावजूद "संग्रहालय सप्ताह" के अतिरिक्त भी समय-समय पर शिक्षा से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम आलोच्य वर्ष में आयोजित किये गये। गया संग्रहालय, गया में प्राचीन हस्त-लिखित पोथियों विषय पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित करने के अतिरिक्त स्थानीय विद्यालयों में संग्रहालय के बहुमूल्य पुरावशेष और "संग्रहालय की शैक्षणिक गतिविधियां" विषयों में रंगीन स्लाइड दिखा कर व्याख्यान देने की एक नई योजना शुरु की गई। भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर द्वारा "भागलपुर प्रदर्शनी 1982" में एक आकर्षक स्टाल लगाने के साथ ही राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रदर्शनी में भाग लिया गया। दुमका में आयोजित प्रसिद्ध आदिवासी मेला "डिजला मेला" में दुमका संग्रहालय के तत्वावधान में चित्र कला की एक प्रदर्शनी लगाई गई। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा में क्रमशः "मंजुल परिवार की चित्रकला" और "अस्त्र-शस्त्र" विषयों पर विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई।

उपर्युक्त आयोजनों के फलस्वरूप संग्रहालयों की लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और लोग सांस्कृतिक सम्पदा के महत्व को धीरे-धीरे समझने लगे हैं।

पुरावशेषों और कलाकृतियों का निबंधन:—केन्द्रीय चालित योजना के अन्तर्गत पुरावशेषों एवं बहुमूल्य कलाकृतियों की चोरी तथा उनका अवैध स्थानान्तरण रोकने के लिए राज्य सरकारद्वारा भारत सरकार के शत प्रतिशत व्यय पर "एन्टीक्विटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर्स ऐक्ट, 1972" के प्रावधानों के अधीन पांच रजिस्टरिंग कार्यालयों (पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रांची) की स्थापना की गई है। उक्त अधिनियम के अधीन 3,422 पुरावशेषों एवं कलाकृतियों के निबंधन कर प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

रजिस्टरिंग कार्यालयों द्वारा उनके क्षेत्रों में बिखरे पुरावशेषों और कलाकृतियों की सूची तैयार की जा रही है।

पुरावशेषों और कलाकृतियों का अर्जन—बिहार राज्य में बिखरे पड़े पुरावशेषों और कलाकृतियों को संकलित किये जाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। नव-सृजित संग्रहालयों द्वारा अपने क्षेत्र के पुरावशेषों और कलाकृतियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और जनता के सहयोग से बिखरे और निजी रूप से संकलित पुरावशेषों

को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। फलस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है :—

बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय के लिए जिले के मझौल नामक स्थल से उपलब्ध पाल कालीन काले पत्थर से निर्मित अलंकृत चौखट, गया जिले से उपलब्ध पाल कालीन दो मूर्त्तियां, यथा भैरव और पुरुष आकृति दान स्वरूप प्राप्त की गई।

बिहारशरीफ संग्रहालय के लिए तेतरांवां से पाल कालीनां हरिहर की एक मूर्त्ति प्राप्त करने के साथ ही उसी ग्राम से दो प्राचीन हस्तलिखित पोथियां दान स्वरूप प्राप्त की गईं।

नारदः संग्रहालय, नवादा में परवर्त्ती गुप्त कालीन "आदि वराह" प्रकार के सोने के दो सिक्के दान स्वरूप प्राप्त हुए।

बक्सर संग्रहालय, बक्सर के लिए 285 पुरावशेष दान स्वरूप प्राप्त किए गए जिनमें मृणमय मानव एवं पशु आकृतियां, मन के प्रस्तर—प्रतिमायें सम्मिलित हैं।

लखीसराय संग्रहालय, लखीसराय में पाल कालीन चार प्रस्तर मूर्त्ति खंड प्राप्त किये गये।

मुजफ्फरपुर में खरौनाडीह और सुमेराडीह से एकत्रित पुरावशेष दान स्वरूप प्राप्त हुए।

भागलपुर संग्रहालय में भी एक हस्तलिखित पोथी दान स्वरूप प्राप्त हुई। प्रकाशन—अभी तक निदेशालय द्वारा वैशाली, पाटलिपुत्र और सोनपुर के उत्खनन प्रतिवेदन प्रकाशित हुए हैं। छोटा पहाड़ उत्खनन प्रतिवेदन प्रेस में दे दिया गया है जिसका मुद्रण प्रायः समाप्ति पर है। बक्सर, बलिराजगढ़, कटरा और चिराद उत्खनन के प्रतिवेदनोंकी भी तैयारी की जा रही है। इनके अतिरिक्त संग्रहालयों में भी पुरावशेषों आदि के कैटलोग और मार्गदर्शक पुस्तिकाएं प्रकाशनार्थ तैयार किये जा रहे हैं।

गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहनः—गैर-सरकारी संग्रहालयों और पुरातत्व एवं संग्रहालय के विकास हेतु अनुसंधान कर ठोस योगदान देनेवाली संस्थाओं को

प्रोत्साहन करने की योजना के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणी के अनुसार आलोच्य वर्ष में कुल 2,67,700 रुपये अनुदान स्वीकृत किए गए:—

योजना मद

	रुपये
(1) बिहार रिसर्च सोसाईटी, पटना	15,800.00
(2) राजेन्द्र मेमोरियल संग्रहालय, सदाकत आश्रम, पटना	10,000.00
(3) बिहार पुराविद् परिषद्, पटना	15,000.00
(4) मिथिला ललित संग्रहालय एवं शोध संस्थान, सौराठ, मधुबनी।	25,000.00

गैर-योजना मद

	रुपये
(1) गांधी संग्रहालय, पटना	35,000.00
(2) बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना	54,900.00
(3) राजेन्द्र मेमोरियल संग्रहालय, सदाकत आश्रम, पटना	11,400.00
(4) भारतीय संग्रहालय परिषद्, नई दिल्ली ..	600.00
(5) बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना	1,00,000.00

शिक्षा विभाग का प्रशासनिक तंत्र

शिक्षा विभाग में दो प्रकार के पदाधिकारी हैं, सचिवालय स्तर एवं निदेशालय स्तर। सचिवालय स्तर का मूल कार्य विभागीय नीतियों का निर्धारण कार्यक्रम तैयार करना एवं उनके कार्यान्वयन के लिये राशियों की स्वीकृति। सचिवालय स्तर के निम्नांकित पदाधिकारी हैं:—

(1) शिक्षा आयुक्त—पदेन सचिव।
(2) विशेष सचिव।
(3) अपर सचिव।
(4) संयुक्त सचिव।
(5) उप-सचिव।
(6) अवर-सचिव।

ऐसे पदों की वर्त्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

पदेन सरकार के सचिव।

(1) शिक्षा आयुक्त	1
(2) विशेष सचिव	1
(3) अपर सचिव	2
(4) संयुक्त सचिव	2
(5) उप-सचिव	1
(6) अवर-सचिव	2
योग	9

2. शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का भार निदेशालय पर है। राज्य स्तर पर निम्नांकित निदेशक हैं जो अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में सरकार को परामर्श देते हैं:—

(1) निदेशक—(माध्यमिक शिक्षा)-सह-अपर सचिव।
(2) निदेशक—(उच्च शिक्षा)।
(3) निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।
(4) निदेशक—(शोध एवं प्रशिक्षण)।
(5) निदेशक—(छात्र एवं युवा कल्याण)-सह-संयुक्त सचिव।

(6) निदेशक—(वयस्क शिक्षा)-सह-संयुक्त सचिव ।
(7) विशेष निदेशक—(प्राथमिक शिक्षा) ।
(8) विशेष निदेशक—(माध्यमिक शिक्षा) ।
(9) निदेशक—(प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव ।
(10) अपर शिक्षा निदेशक ।
(11) निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय ।

उपर्युक्त निदेशकों को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक, कार्य निष्पादन में राज्य स्तर पर एवं प्रमंडलीय, जिला तथा अनुमंडलीय स्तर पर निरीक्षी पदाधिकारी सहायता करते हैं ।

3. प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी, जो शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के प्रधान के रुप में नियुक्त हैं, उनके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव कार्यालय प्रधान हैं । वे राज्य एवं फ़ील्ड स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवा शर्त्तों की देखरेख करते हैं ।

फ़ील्ड स्तर पर दो प्रकार के पदाधिकारी हैं

(क) पुरुष पदाधिकारी:—जो बालक शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं ।
(ख) महिला पदाधिकारी:—जो बालिका शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एव पर्यवेक्षण करती है ।

बालिका शिक्षा के लिये निरीक्षी पदाधिकारी

सम्पूर्ण राज्य में बालिका शिक्षा का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण विद्यालय निरीक्षिका, बिहार द्वारा किया जाता है जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षिका एवं उप-विद्यालय निरीक्षिका सहायता करती है ।

बालक शिक्षा के लिये निरीक्षी पदाधिकारी

निम्नांकित पदाधिकारी निदेशकों के अधीनस्थ प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर हैं:—

(क) प्रमंडलीय स्तर
(1) क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक—9
(2) सहायक क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक—9

(ख) जिला स्तर

(1) जिला शिक्षा पदाधिकारी	..	33
(2) जिला शिक्षा अधीक्षक	..	36
(3) जिला विद्यालय निरीक्षिका	..	33
(4) जिला वयस्क शिक्षा पदाधिकारी	..	31

(ग) अनुमंडल स्तर

(1) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	..	70

4. इसके अतिरिक्त निदेशक, विभागाध्यक्ष, वाचक, प्राध्यापक, प्राचार्य एवं व्याख्याता निम्नांकित संस्थाओं में हैं:—

(1) मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, दरभंगा।
(2) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा।
(3) प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान, वैशाली।
(4) काशी प्रसाद जयसवाल शोध संस्थान, पटना।
(5) अरबी एवं फ़ारसी शोध संस्थान, पटना।
(6) बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना।
(7) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पटना।
(8) राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।
(9) राजकीय महिला महाविद्यालय।
(10) जिला/सर्वोदय विद्यालय।
(11) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पुरुष एवं महिलाओं के लिए)
(12) बालिका उच्च विद्यालय।
(13) मदरसा इसलामिया शमशुल हुदा, पटना।
(14) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय।
(15) सुधार विद्यालय, हजारीबाग।
(16) बाल सुधार अग्र केन्द्र, हजारीबाग।
(17) राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् पटना।
(18) आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पलामू।

पर्षद्

(1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
(2) बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना।
(3) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना।
(4) विद्यालय सेवा बोर्ड, पटना।
(5) बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड, पटना।
(6) बिहार इन्टरमिडिएट कॉउन्सिल, पटना।

5. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रशासनिक संगठन में परिवर्त्तन के प्रस्ताव को अभी तक कार्यरूप नहीं दिया जा सका है क्योंकि अपर निदेशक की कोटि के क्षेत्रीय पदों का सृजन अभी तक नहीं हो सका है। इस ओर प्रयास जारी है।

6. नालन्दा, पलामू एवं सीतामढ़ी जिलों में चल रहे संकुल योजना को दिनांक 1 अक्तूबर 1982 से समाप्त कर दिया गया है और इन जिलों के पुराने शैक्षिक अनुमंडल शिक्षा पदायधकारियों के पदों को पुनर्जीवित कर दिया गया है। इन पदों पर पदाधिकारियों का पदस्थापन भी कर दिया गया है।

7. राजकीय आदेश संख्या 871 दिनांक 20 अप्रील 1981 द्वारा सृजित $35\frac{1}{2}$ प्रतिशत के अनुपात में सृजित उच्च कोटि के पदों को भरा नहीं जा सका है। इसका कारण यह है कि निदेशक, अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के पदों पर प्रोन्नति के लिये नियमावली नहीं थी। इसके लिये नियमावली का निर्माण विभागीय संकल्प संख्या 1245, दिनांक 11 दिसम्बर 1982 में किया गया है जो निम्नवत है :—

अगली उच्चतर पंक्ति में प्रोन्नति का पात्र होने के लिये पदाधिकारी को निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अवधि की सेवा अवश्य होनी चाहिये :—

क्रम सं०।	पद जिस पर प्रोन्नति देनी है।	कालावधि
1	बिहार शिक्षा वर्ग-2 ..	अवर शिक्षा सेवा (उच्च श्रेणी) (प्रवर कोटि) में आठ वर्ष।
2	बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-1 (कनीय प्रवर कोटि में)।	बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-2 में छः वर्षों की सेवा।
3	बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-1 (वरीय प्रवर कोटि)।	बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-1 (कनीय प्रवर कोटि) में चार वर्षों की सेवा।

क्रम सं०	पद जिस पर प्रोन्नति देनी है।	कालावधि
4	सुपरटाईम स्केल (संयुक्त निदेशक या समकक्ष।	बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-1 (वरीय प्रवर कोटि) में चार वर्षों की सेवा अथवा यदि इस कोटि के अनुसार पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो कनीय प्रवर कोटि और वरीय प्रवर कोटि को मिलाकर कम-से-कम आठ वर्षों की सेवा।
5	अपर निदेशक या समकक्ष पद।	बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-1 (सुपरटाइम स्केल) में चार वर्षों की सेवा अथवा यदि इस कोटि के अनुसार पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरटाइम स्केल और वरीय प्रवर कोटि को मिलाकर कम-से-कम आठ वर्षों की सेवा।
6	निदेशक/विशेष निदेशक	अपर निदेशक स्तर के तीन वर्षों की सेवा अथवा इसके अनुसार पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरटाइम स्केल और अपर निदेशक की सेवा मिलाकर सात वर्षों की सेवा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये हर कोटि में कालावधि एक वर्ष कम होगा।

इस आधार पर पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है और आगे की प्रक्रियाएं पूरी कर शीघ्र ही पदों को भर दिया जायगा। अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है।

8. बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 (वरीय प्रवर कोटि) के पदों पर 1 अप्रील 1962 से चले आ रहे रिक्तियों के विरुद्ध 30 पदाधिकारियों की नियमित प्रोन्नति दी गयी। 20 पदाधिकारियों का मामला लोक सेवा आयोग के समक्ष लम्बित है जिन्हें शीघ्र निवटाने का प्रयास किया जा रहा है।

9. लगभग 40 बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों को सेवा में सम्पुष्ट किया गया एवं 20 पदाधिकारियों को दक्षतावरोध पार करने की अनुमति प्रदान की गयी। शेष ऐसे लम्बित मामलों को भी शीघ्र निष्पादन करने की कार्रवाई जारी हैं।

10. सम्पुष्टि करने एवं दक्षतावरोध पार करने की कसौटी को यथा संभव सुलभ करने के उद्देश्य से शिक्षण शाखा के वर्ग-2 के पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा पास करने से 1973 से ही इस शर्त्त पर मुक्त कर दिया गया है कि प्रशासनिक पद पर पदस्थापन होने पर, पदस्थापन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर, उन्हें विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही दिनांक 16 अक्तूबर 1973 के पूर्व नियुक्त जिन पदाधिकारियों ने विभागीय परीक्षा पुरानी पद्धति से पास कर ली थी उन्हें उक्त तिथि के बाद विहित उच्च स्तर से विभागीय परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है।

11. राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों एवं मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा का प्रशासन एवं नियंत्रण कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उन संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवा संबंधी कार्य विश्वविद्यालय के नियंत्रण में ही गया है। नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा भी एक स्वायत शासी निकाय हो गया है जिसका नियंत्रण संस्थान के नियंत्री परिषद् द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष महामहिम बिहार राज्यपाल हैं।

12. काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के निदेशक पद पर पूर्ण कालीन पदाधिकारी को दिनांक 12 दिसम्बर 1979 से प्रोन्नति देकर पदस्थापित किया गया। उसी प्रकार नवनालन्दा महाविहार के निदेशक के पद पर श्री गुस्तावरथ को संविदा पर नियुक्त किया गया है।

13. नव सृजित मधेपुरा एवं खगड़िया जिलों के लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षिका के पद सृजित किये गये हैं और उनके कार्य की कार्यकारी व्यवस्था कर दी गयी है।

14. पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के नियंत्रण में कई नये संग्रहालय स्थापित हुए हैं जिनमें संग्रहालयाध्यक्ष के पद रिक्त है। कई जगह कार्यकारी व्यवस्था की गई हैं परन्तु पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस उद्देश्य से बिहार शिक्षा सेवा भर्त्ती नियमावली 1973 में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। संशोधनोपरान्त रिक्ति पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

15. पटना संग्रहालय पटना का पुनर्गठन के फलस्वरूप निदेशक के वरीय प्रवर कोटि एवं क्युरेटर के दो कनीय प्रवर कोटि के, बिहार शिक्षा सेवा के पदों, को शीघ्र भरने का प्रयास जारी है।

प्रकीर्ण

(क) पुस्तकाय सेवा

बिहार राज्य में निम्न प्रकार के पुस्तकालय संचालित हैं :—

(क) क्लासिफाईड पुस्तकालय।	(1) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय।	सिंहा लाइब्रेरी, पटना।
		(i) भगवान पुस्तकालय।
		(ii) लक्ष्मीश्वर पुस्तकालय दरभंगा।
	(2) प्रमंडलीय पुस्तकालय (1)	
	(3) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय (24)	जिला मुख्यालयों में।
	(4) अनुमंडलीय पुस्तकालय (25)	अनुमंडलीय मुख्यालयों में।
	(5) विशिष्ट पुस्तकालय (6)	
	(6) प्रखण्ड पुस्तकालय (440)	प्रखंड मुख्यालयों में।
(ख) राज्य संचालित पुस्तकालय।	(1) राज्य प्रमंडलीय पुस्तकालय (11)	रांची में।
	(2) राज्य जिला पुस्तकालय (4)	दुमका, चाईवासा, धनबाद एवं पूर्णियां में।
	(3) विशिष्ट भाषा भाषियों के लिये राजकीय उर्दू पुस्तकालय (11)	पटना में।
(ग) ग्रामीण एवं अन्य शहरी पुस्तकालय।	गैर सरकारी तथा गैर-क्लासिफाईड पुस्तकालय लगभग (4,000)	..

वित्तीय सहायता-1—उपर्युक्त क्लासिफाईड पुस्तकालयों के सुसंचालन केलिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष प्रर्याप्त मात्रा में (1) स्थापना व्यय, (2) पुस्तक क्रय, (3) उपस्कर तथा (4) भवन निर्माण के लिये अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त लगभग 4,000 अन-क्लासिफाईड सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रामीण पुस्तकालय के रूप में संचालित है जिनका संचालन स्थानीय समिति द्वारा होता है। इन पुस्तकालयों को भी राज्य सरकार द्वारा पुस्तक सेट तथा भवन मरम्मत का अनुदान दिया जाता है।

उपर्युक्त सभी कोटियों के पुस्तकालयों को 1982-83 में गैर-योजना एवं योजना मद से निम्नांकित अनुदान दिए गए हैं :—

(1) गैर योजना मद में कुल 14,70,431 रुपये की स्वीकृति दी गयी जिसका उपयोग निम्न प्रकारेण किया गया।

(क) सिन्हा लाइब्रेरी (बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय) पटना को स्थापना व्यय हेतु 3,75,431 रु०।

(ख) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान, कलकत्ता को पुस्तक क्रय हेतु 2,00,000 रुपया।

(क) सिन्हा लाइब्रेरी (बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय) पटना को स्थापना व्यय हेतु।	3,75,431
(ख) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान, कलकत्ता को पुस्तक क्रय अनुदान।	2,00,000
(ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों को पत्र-पत्रिका क्रय हेतु ..	34,000
(घ) श्री कृष्ण सेवा सदन (जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, मुंगेर को स्थापना व्यय हेतु।	1,45,200
(ङ) खुदाबख्श ओरियेंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना को स्थायी अनुदान।	50,000
(च) प्रमंडलीय, जिला केन्द्रीय, अनुमंडलीय तथा विशिष्ट पुस्तकालयों को स्थापना व्यय हेतु।	3,90,000
(छ) 431 प्रखंड पुस्तकालयों को स्थापना व्यय हेतु ..	1,29,300
(ज) पुस्तकों के केन्द्रीय क्रय हेतु	80,000
(झ) कुपन पद्धति से पुस्तक क्रय के लिए अनुदान ..	25,000
(ड) भवन मरम्मति के लिए अनुदान	21,000
(ट) उपस्कर क्रय हेतु अनुदान	20,500
	14,70,431

2. योजना मद में जन-जाति क्षेत्रान्तर्गत पुस्तकालयों के लिए कुल अनुदान स्वीकृत करने के लिए उपबन्धित राशि 2,62,000 रुपये में से मात्र 37,500 रुपये स्वीकृत हुआ। इसमें से राज्य प्रमंडलीय पुस्तकालय, रांची को वर्गीकता-सह-सूची कर्त्ता एवं रात्रि प्रहरी के पदों की अवधि विस्तार के लिए 17,500 रुपये एवं प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान रांची को पुस्तक क्रय के लिए 20,000 रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों के लिए पुस्तक एवं उपस्कर क्रय के मद में 89,500 रुपये की स्वीकृति दी गयी। परन्तु इस राशि को निकासी कोषागार से नहीं हो पाने के कारण इसका उपयोग नहीं हो सका।

योजना मद में गैर-जनजाति क्षेत्र के पुस्तकालयों को 1982-83 में पुस्तक एवं उपस्कर क्रय हेतु तथा भवन निर्माण के लिए अनुदान नहीं दिया जा सका है।

(ख) छात्रों को रियायती मूल्य की अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक की आपूर्त्ति

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों को रियायती मूल्य पर अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक ,आपूर्त्ति कराई जा रही है। अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक तथा उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अप्रैल, 1982 से मार्च 1983 की अवधि में निम्नांकित मदों में उनके नीचे अंकित मात्रा में रियायती कागज का आवंटन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ :--

(कागज की मात्रा टन में)

तिमाही का नाम	टेक्स्ट बुक	अभ्यास पुस्तिका	परीक्षा	प्राइवेट पब्लिसर्स	वयस्क शिक्षा	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
अप्रील-जून, 1982 ..	2,100	500	100	100	10	2,850
जुलाई-सितम्बर, 1982	730	900	150	180	16	1,976

केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि में ही राज्यस्तरीय कागज वितरण एवं नियंत्रण समिति की बैठक बुलाई गई एवं समिति के निणयानुसार संबंधित मदों के कागज को संबंधित आवंटियों के पक्ष में आवंटित कर दिया गया और सभी आवंटियों द्वारा मिल में कागज के मूल्य का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि भेज दी गई, परन्तु अप्रील, 1982 में सभी कागज मिलों ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (4,200 रु० प्रति टन) के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिका दायर कर उनके द्वारा सबमिट किये गये मूल्य के आधार पर निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिया गया और आवंटियों को उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्य पर कागज लेने के लिए बाध्य किया गया। अप्रील, 1982 से मार्च, 1983 के बीच केन्द्र सरकार एवं मिलों से मूल्य संबंधी समझौता नहीं हो सका जिसका परिणाम यह हुआ कि मिलों ने इस अवधि में आवंटियों को कागज की आपूर्त्ति नहीं की। अप्रील, 1982 से मार्च, 1983 के बीच छात्रों को नियंत्रित मूल्य की अभ्यास पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक सुलभ ढंग से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी फिर भी वैशाली अभ्यास पुस्तिका, जो पुराने स्टाक में थी किसी तरह विद्यालय के नया सत्र के लिए कहीं-कहीं उपलब्ध हो सकी है।

गत पांच वर्षों के लाभ का विवरण निम्नवत है :—

वर्ष	बिक्री सकल मूल्य (करोड़ रुपयों में)	लाभ (लाख रुपयों में)
1978-79	3.78	88.23
1979-80	2.64	123.00
1980-81	4.30	60.00)
1981-82	8.46	70.00 > (लगभग)
1982-83	5.22	40.00)

इस वर्ष बिक्री कम हुई है। अतः लाभ भी अनुपात में ही हुआ है।

कारपोरेशन की प्रकाशन शाखा में शैक्षिक निबंधक पुस्तकों के प्रकाशन कार्य प्रबन्ध निदेशक की देखरेख में करते हैं। वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी, सचिव एवं कार्मिक पदाधिकारी आर्थिक, कार्मिक एवं प्रशासनिक कार्यों में प्रबन्ध निदेशक की सहायता करते हैं।

(घ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

बिहार ऐक्ट 1952 के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना 1952 में हुई। वर्त्तमान में समिति माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा (द्विवर्षीय एवं संक्षिप्त सत्र) तथा शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षाओं ( )का संचालन कर रही है। पूर्व में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा एवं प्राथमिक विद्यालय के संचालन के दायित्व भी समिति ने सफलता पूर्वक वहन किये हैं।

समिति की बढ़ती उम्र के साथ इसके दायित्व भी बढ़ते रहे हैं। 1952 में जहां समिति के माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के मात्र 32,660 परीक्षार्थियों की परीक्षा संचालित की थी, 1983 में इसने तीन लाख चालीस हजार छात्र-छात्राओं की परीक्षा का आयोजन किया है। ज्ञातव्य है कि 1982 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,76,878 थी और उत्तीर्णता का प्रतिशत 63.3 था।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्रति वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करती हैं। परीक्षार्थियों की संख्या

में वृद्धि को ध्यान में रखकर 1981 से मेधासूची (
में 25 तक शीर्ष स्थान प्राप्तकर्त्ता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जा रहा है।

1982 की माध्यमिक परीक्षा की मेधा सूची के आधार पर पुरस्कृत होने वाले छात्र, छात्राओं का नाम प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' में प्रस्तुत है। विगत वर्षों की भांति इस समारोह के अवसर पर विविध प्रतियोगिताओं, यथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मानसिक योग्यता, परीक्षण प्रतियोगिता तथा व्यक्तित्व परीक्षण प्रतियोगिता आदि, का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भी शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की पुरस्कृत किया जाता है।

परीक्षा संचालन एवं परीक्षाफल प्रकाशन की प्रविधियों में गुणात्मक विकास के लिए समिति सदैव सचेष्ट रही है। तत्सम्बन्धी निम्नांकित सुधार उल्लेखनीय है:—

(1) परीक्षार्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था,
(2) जिला केन्द्र चयन समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों का चयन तथा विभिन्न विद्यालयों का केन्द्रों से सम्बन्धन।
(3) परीक्षा केन्द्रों पर शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रशासन का सक्रिय सहयोग।
(4) परीक्षा केन्द्रों के लिए पर्यावेक्षक एवं चलन्त टोली की व्यवस्था।
(5) उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन।
(6) कम्प्यूटर द्वारा अंक नियोजन तथा परीक्षाफल प्रकाशन।
(7) संभावित किसी भी त्रुटि के निराकरण निमित परीक्षार्थियों के आवेदन पर उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण की व्यवस्था।

उपर्युक्त व्यवस्थाओं के फलस्वरूप ही समिति की परीक्षा में मात्र उपयुक्त अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो पाते हैं। परीक्षाएं निर्धारित तिथि को कदाचार मुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न होती है। उत्तर पुस्तिकाओं का निर्धारित समय में मूल्यांकन और समायानुसार मानवीय त्रुटियों से मुक्त परीक्षाफल प्रकाशन सम्भव हो पाता है। परीक्षार्थियों को प्राप्तांक एवं प्रमाण-पत्र भी यथेष्ट समय सीमा के अन्दर ही उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्नों की गोपनीयता:—प्रश्न पत्रों की गोपनीयता की रक्षा के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रविधियां अपनायी गई हैं, यथा प्रत्येक विषय पत्र के प्रश्न पत्र के पांच सेट पांच भिन्न व्यक्तियों द्वारा तैयार करवाये जाते हैं। उन सबों को विषयवार नियुक्त विषय विशेषज्ञों की परिशोधन समिति द्वारा परिशोधित किया जाता है, और परिशोधनोपरान्त पांच समरूप लिफाफों में मात्र विषय संकेत के उल्लेख

के साथ अलग-अलग रखकर परिशोधकों की मुहर से मुहरबन्द कर दिया जाता है। इस प्रकार तैयार प्रत्येक विषय के पांच सेट प्रश्नों के लिफाफों में से लाटरी के आधार पर परीक्षा विशेष के लिये किसी एक सेट को समिति के सचिव चुनते हैं और मुद्रणार्थ गोपनीय मुद्रक की सौंप देते हैं। मुद्रित प्रश्न-पत्र भी परीक्षा केन्द्र की आवश्यकतानुसार प्रेस की मुहर के साथ ही परीक्षा केन्द्र के निकटस्थ बैंक या प्रखण्ड कोषागार को जमा कर दिया जाता है, जहां से प्रतिदिन परीक्षा प्रारम्भ होने के मात्र 30 मिनट पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रश्न-पत्रों के पैकेट की आपूर्त्ति की जाती है। केन्द्र पर प्रश्न-पत्रों के पैकेट केन्द्राधीक्षक और दो अन्य वीक्षकों के सामने खोले जाते हैं।

1981 से समिति नई शिक्षा संरचना के आलोक में विहित नये पाठ्यक्रम के आधार पर माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित कर रही है। परीक्षा में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से प्रश्न-पत्रों की तकनीक में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिवर्त्तन लाये हैं। अब प्रश्नों को अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया गया है। इस निमित्त समय-समय पर कई प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन द्वारा समिति ने राज्य के विषय विशेषज्ञों को राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के मार्ग-दर्शन में प्रशिक्षित किया है। और, इन्हीं प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों द्वारा माध्यमिक परीक्षाओं के प्रश्न निमित्त किए जाते हैं। ये विशेषज्ञ न केवल प्रश्नों का निर्माण करते हैं, बल्कि उत्तर पुस्तिकाओं के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए सम्यक निर्देश भी तैयार करते हैं।

परीक्षाफल—अपने शिक्षाविद मुख्य मंत्री के मार्ग दर्शन में राज्य के शैक्षिक वातावरण में सुधार से हम प्रभावित रहे हैं। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 से हमें काफी मदद मिली है। हमने अपेक्षाकृत अधिक हठता और सफलता पूर्वक 1982 और 1983 की माध्यमिक परीक्षाएं संचालित की है।

विगत 30 वर्षों में इस समिति द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का विस्तार सब से अधिक हुआ है तथा इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

परीक्षार्थियों से प्राप्त शुल्कादिन ही समिति की आय का एकमात्र श्रोत है। परीक्षा सामग्री के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि, परीक्षा व्यवस्था पर होनेवाले व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि, परीक्षकों के पारिश्रमिक में हुई वृद्धि के अतिरिक्त चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते आदि में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि से आर्थिक मामले में समिति की आत्म-निर्भरता गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है जिससे परीक्षा सुधार की दिशा में अन्य गुणात्मक सुधार कार्य करना संभव नही हो पा रहा है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 1981-82 के परीक्षाफल से सम्बन्धित सांख्यकी संलग्न है। विस्तृत जानकारी के लिए 1981 वर्ष के सचिव का प्रतिवेदन भी संलग्न है।

RESULT STATISTICS OF ANNUAL EXAMINATION, 1981

1. No. appeared	.. ..	..	1,99,604
2. No. Pass	.. ..	1st Division	17,911
		2nd Division	61,297
		3rd Division	45,217
3. Total Pass	.. ..	..	1,2.4,425
4. Pass percentage	.. ..	..	57 77%

RESULT STATISTICS OF ANNUAL EXAMINATION, 1982

1. Total No. of candidates appeared.		2,79,469	
2. Total no. of pass candidates.	1st Dn.	26,722	9.56%
	2nd Dn.	93,464	33.44%
	3rd Dn.	56,792	22.32%
3. Total no. of pass candidates.		1,76,878	
4. Pass percentage ..	..	..	63.3%
5. No, of expelled candidates.	..	2,260	

बिसमु (शिक्षा) 3—मोनो जी०—1,500 —24-6-1983—रा० मेहता

NIEPA DC
D01040

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, ... 110016
DOC. No. D-1646
Date 16/3/81